स्मारिका

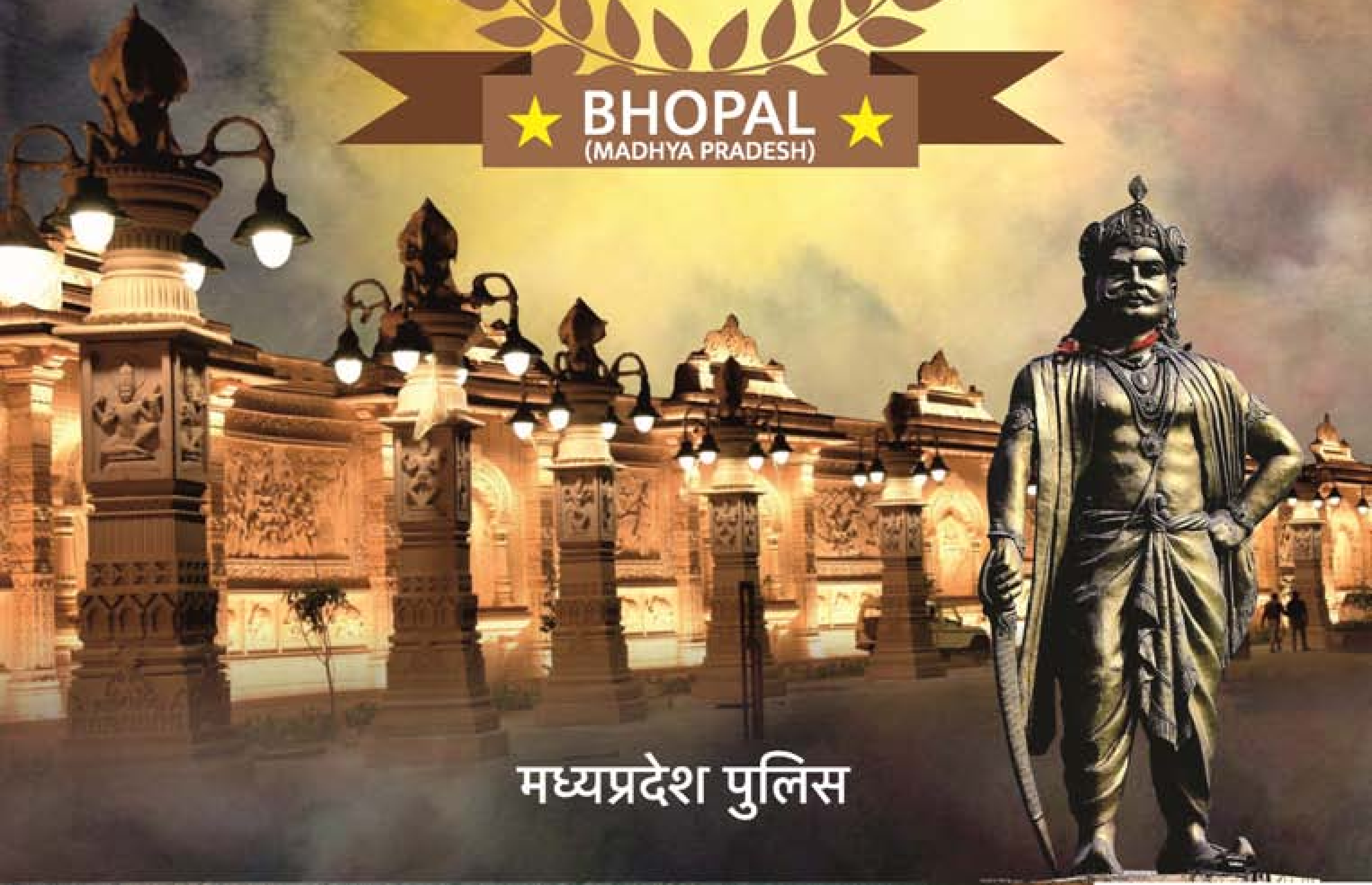
अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट

2022-23

66th ALL INDIA POLICE DUTY MEET

13-17 FEBRUARY 2023

BHOPAL (MADHYA PRADESH)



मध्यप्रदेश पुलिस



साँची स्तूप

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23

स्मारिका

The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

February 13th - 17th, 2023
Place - Lal Pared, Bhopal

Layout & Design by
Vinay Shankar Rai
Graphic Designer

Printed By

MADHYA PRADESH MADHYAM
Bhopal



The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

February 13th-17th, 2023
Bhopal, Madhya Pradesh

Events

- Scientific Aids to Investigation
- Police Photography
- Computer Awareness Test
- Dog Squad
- Anti Sabotage Check
- Police Videography

ALL INDIA POLICE DUTY MEETS

S.NO.	Year	Place	Host
1	1953	Nagpur	CP and Berar
2	1954	Madras	Tamilnadu
3	1955	Patiala	Punjab
4	1956	Hirakund	Orissa
5	1957	Hyderabad	Andhra Pradesh
6	1958	Jaipur	Rajasthan
7	1959	Patna	Bihar
8	1960	Sitapur	Uttar Pradesh
9	1961	Bangalore	Karnataka
10	1963	Delhi	Delhi
11	1964	Bhopal	Madhya Pradesh
12	1966	Ahmedabad	Gujarat
13	1968	Pune	Maharashtra
14	1969	Srinagar	Jammu & Kashmir
15	1970	Shimla	Himachal Pradesh
16	1972	Trivendrum	Kerala
17	1973	Cuttack	Orissa
18	1974	Madras	Tamilnadu
19	1976	Guwahati	Assam
20	1977	Hyderabad	Andhra Pradesh
21	1977	Jalandhar	Punjab
22	1978	Madhuban	Haryana
23	1980	Nasik	Maharashtra
24	1980	Bhopal	Madhya Pradesh
25	1981	Bangalore	Karnataka
26	1982	Barrackpore	West Bengal
27	1983	Lucknow	Uttar Pradesh
28	1985	Jaipur	Rajasthan
29	1985	Patna	Bihar
30	1986	Hyderabad	Andhra Pradesh
31	1987	Bhopal	Madhya Pradesh

S.NO.	Year	Place	Host
32	1988	Srinagar	Jammu & Kashmir
33	1990	Ahmedabad	Gujarat
34	1990	Pune	Maharashtra
35	1991	Madras	Tamilnadu
36	1992	Shimla	Himachal Pradesh
37	1993	Bangalore	Karnataka
38	1995	Madhuban	Haryana
39	1995	Bhanu	I.T.B.P.
40	1996	Hyderabad	Andhra Pradesh
41	1997	Bhopal	Madhya Pradesh
42	1998	Bhanu	I.T.B.P.
43	1999	Lucknow	Uttar Pradesh
44	2000	Chennai	Tamilnadu
45	2002	Jaipur	Rajasthan
46	2002	Bangalore	Karnataka
47	2004	Hyderabad	Andhra Pradesh
48	2004	Dergaon	Assam
49	2006	Madhuban	Haryana
50	2007	Chennai	Tamilnadu
51	2008	Mumbai	Maharashtra
52	2009	Bangalore	Karnataka
53	2010	Ahmedabad	Gujarat
54	2011	Jaipur	Rajasthan
55	2012	Nasik	Maharashtra
56	2013	Bhopal	Madhya Pradesh
57	2014	Madhuban	Haryana
58	2015	Ranchi	Jharkhand
59	2016	Mysuru	Karnataka
60	2017	Chennai	Tamilnadu
61	2018	Lucknow	Uttar Pradesh

अनुक्रमणिका
Contents



महाकाल लोक

सत्यमेव जयते



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार

संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटीमीट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय है।

अपराध रोकने, आतंक से निपटने और संकट में लोगों को मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर, पुलिस बल के हमारे साथी देश में सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। अपनी तत्परता, अनुशासन और संवेदनशीलता से उन्होंने एक ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित की है, जिसपर देशवासियों को संपूर्ण विश्वास है।

बदलते दौर के साथ हमारे सामने चुनौतियां बढ़ी हैं और यह आवश्यक है कि पुलिस बल के वीर कर्मी आधुनिक युग के अनुरूप तकनीकों से लैस हों। इस पुलिस ड्यूटीमीट में जांच की वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित प्रतिस्पर्धाओं को शामिल करना, विषय के प्रति जागरुकता का प्रमाण है।

प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं समन्वय हो। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटीमीट सभी पुलिस बलों को एक-दूसरे को जानने का एक उपयुक्त मंच प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे प्रतिभागी परस्पर क्षमताओं से सीखकर, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने कि लिए प्रेरित होंगे।

आजादी के अमृत काल में हम एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पुलिस बलों के बहुमूल्य योगदान से हम राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।

पुलिस ड्यूटीमीट में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)



ओरछा, मध्यप्रदेश

सत्यमेव जयते



अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा भोपाल में दिनांक 13 से 17 फरवरी, 2023 तक 66वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

यह ड्यूटी मीट राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिभागियों को एक साथ अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा तथा उनके मनोबल को भी बढ़ावा देगा।

इस ड्यूटी मीट में साइंटिफिक एड्स इन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट, डॉग स्क्वेड, एंटी-सेवोटेज चेक और पुलिस वीडियोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जो सराहनीय है।

मैं, ड्यूटी मीट के सफल आयोजन एवं स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अमित शाह)



ग्वालियर किला

सत्यमेव जयते



मंगुभाई पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश

संदेश

हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय पहल है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रियाशील पुलिस सशक्त समाज का आधार है। विकास के लिए सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी है। आपराधिक गतिविधियों को रोकना, अपराधों की खोजबीन, अपराधियों को पकड़ने, पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर दंडित कराने और आंतरिक सम्पत्ति की रक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ ही आतंकवाद, विघटनकारी और उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने का कर्तव्य भी पुलिस के कंधों पर है।

आशा है, मीट पुलिसिंग की वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत एक संवेदी और लोक-उन्मुख कानून व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा। सामाजिक, तकनीकी और डेमोग्राफिक बदलावों के साथ अनुकूलन के लिए जरूरी प्रशासनिक सुधारों के पथ प्रदर्शन में सफल होगी।

शुभकामनाएं,

(मंगुभाई पटेल)



महाकाल लोक



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा साक्ष्य संग्रहण का अपराधों के पतासाजी एवं अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में सजा दिलाए जाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

विभिन्न राज्यों से आए पुलिस कर्मियों के बीच अपराधियों की खोज, अपराधिक नियम कानून, अंगुल चिन्ह, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर ज्ञान आदि पुलिस कार्यप्रणाली विषयों पर केन्द्रित प्रतियोगिताओं से न सिर्फ पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी अपितु प्रतियोगियों के आपस में मेल-मिलाप से राज्यों में कार्यरत बेस्ट प्रेक्टिसेस का आदान-प्रदान भी होगा।

मैं इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आये पुलिस कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा है प्रकाशित स्मारिका पुलिस कर्मियों के लिये उपयोगी होगी। आयोजन की सफलता की हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(शिवराज सिंह चौहान)


माण्डू, मध्यप्रदेश



डॉ. नरोत्तम मिश्र
गृह मंत्री
मध्यप्रदेश

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच भोपाल में आयोजित की जा रही है, जिसमें 35 राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र और 13 केन्द्रीय संगठन के कुल 1500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस मीट में अनुसंधान में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करना, पुलिस फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, कम्प्यूटर अवेयरनेस इत्यादि तकनीकी विषयों पर प्रतिस्पर्धा होगी। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पुलिस बल को समन्वय, सहभागिता और सहयोग (3C's) का मूलमंत्र सूरजकुंड में अक्टूबर-2022 में आयोजित कान्फ्रेंस में दिया था, जिसे यह पुलिस ड्यूटी मीट यथार्थ में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

मध्यप्रदेश पुलिस को उक्त ड्यूटी मीट में सफलता की अग्रिम शुभकामनायें।

23-1-23

(डॉ. नरोत्तम मिश्र)



TAPAN KUMAR DEKA, IPS
Director, IB,
Chairman,
& Control Board and
All India Police Sports
CCC of All India Police Duty Meet

सत्यमेव जयते

MESSAGE

I am happy to learn that the Madhya Pradesh Police is hosting the 66th All India Police Duty Meet in Bhopal from February 13-17, 2023.

Since the inception of All India Police Duty Meet, it has emerged as a unique professional forum which offers our Police personnel a much needed opportunity on an annual basis to test and demonstrate their professional skills and tradecraft across diverse disciplines in a spirit of keen and healthy competition. The Police Meet also provides an excellent platform for exchange of best practices which contribute to enhance professional expertise of Palice personnel. I am sure that this Police Meet will be a resounding success and will reinforce the tradition of excellence among the Police Forces in the country.

The Welfare Seminar being held along with the Police Duty Meet would offer an opportunity for exchange of information on various welfare measures being taken for Police personnel and their families.

I extend warm greetings to the Madhya Pradesh Police and participants of the All India Police Duty Meet, and wish them all success.

(Tapan Kumar Deka)



सुधीर कुमार सक्सेना, IPS
पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन मध्यप्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में पांच केन्द्रीय पुलिस संस्थानों तथा 19 प्रदेशों से 852 प्रतिभागियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। यह आयोजन देश भर के पुलिसकर्मियों को एक-साथ अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने और अपने कौशल व उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि इस ड्यूटी मीट के दौरान होने वाली प्रतियोगितायें न केवल जानकारीपूर्ण होगी बल्कि आज पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे- आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राईम आदि का समाधान खोजने में हमारी सहायता करेंगी।

कानून व्यवस्था के संरक्षक के रूप में हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करें। कानून व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आयोजन हमारी इस भूमिका को और बेहतर बनाने तथा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

मैं मेजबान संगठन के सभी सदस्यों और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले समस्त प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। समन्वित प्रयास और समर्थन ने इस कार्यक्रम को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाया।

सभी के उत्कृष्ट प्रयासों को इस स्मारिका में शामिल करते हुये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्मारिका आने वाले वर्षों में इस ड्यूटी मीट के सुखद अनुभवों की याद दिलायेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(सुधीर कुमार सक्सेना)



PRAVEEN SOOD, IPS
Director General & Inspector General of Police
Karnataka

MESSAGE

I am happy to learn that the 66th All India Police Duty meet will be held in Bhopal, Madhya Pradesh from 13/02/2023 to 17/02/2023 with regard to Scientific Aids to Investigation, Police Photography, Police Videography, Computer awareness, Anti-Sabotage Check and Police Dog Competition.

This is a unique event where all the police forces in the country come together to compete and share their skills, expertise and ideas in the field of investigation, collection of evidence and finger prints, photography at the scene of crime, utilisation of dogs in investigation, and computer awareness.

Apart from the above, all the participants will get to know the cultural diversities of India and nuances of policing in different states.

I congratulate the Organising secretary of 66th All India Police Duty Meet and DG&IGP Madhya Pradesh for hosting this event in 2023. I wish all the participants of the duty meet all the best.

(Praveen Sood)



M. MALVIYA, IPS
Director General & Inspector
General of Police, West Bengal

MESSAGE

I am very happy to know that Madhya Pradesh Police is going to host the 66th All India Police Duty Meet-2023 at Bhopal from 13th to 17th February, 2023 and a "Souvenir" will be published to mark this momentous occasion.

At the outset, I convey my best wishes and felicitations to all the participants and heartiest congratulations to the Madhya Pradesh Police for hosting this meet and bringing out the "Souvenir" which shall hopefully be a source of motivation for the readers as well as the participants.

I firmly believe that all the events in this meet will not only be a competition but shall also be a unique platform for displaying the caliber of the police personnel and a unique opportunity for building up friendship & sportsmanship amongst them.

I wish this mega event a grand success.

(Manoj Malviya)



DR. C. SYLENDRA BABU, IPS
Director General of Police
and Head of Police Force,
Tamil Nadu

MESSAGE

I am delighted to know that the Madhya Pradesh Police is hosting the 66th All India Police Duty Meet - 2023 at Bhopal from 13th to 17th February 2023 and that a souvenir is being brought out to mark this grand occasion.

All India Police Duty Meet is a professional competition of a very high order, covering the most important aspects of criminal investigation, which includes Scientific Investigation, Police Photography, Computer Awareness Test, Dog Squad, Anti-Sabotage Check and Police Videography. Apart from testing the skill sets of various State teams, this competition is forging the camaraderie among the Police brethren.

I extend my best wishes to the organisers for the successful conduct of the event, and to the participants for exhibiting their skills to win the medals and trophies.

With Best wishes,

(C. Sylendra Babu)



P. DOUNGEL, IPS
Director General of Police
Manipur, Imphal

MESSAGE

I am delighted to learn that Madhya Pradesh Police is hosting the 66th All India Police Duty Meet, 2023 from 13.02.2023 to 17.02.2023 at Bhopal and that a Souvenir is being published on this occasion.

I extend my best wishes to the organizers of this mega event and to all participating teams from different states and police organizations. May the Police Meet be conducted in the true spirit of sportsmanship and no participants suffering any injury with all teams going back with fond memories. My compliments to Madhya Pradesh Police under the able leadership of DGP Sudhir Saxena for hosting such a prestigious events.

(P. Doungel)



SUNIL KUMAR BANSAL, IPS
Director General of Police,
Odisha

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Madhya Pradesh Police is organising 66th All India Police Duty Meet-2023 from 13th to 17th February 2023 at Bhopal and a souvenir is being brought out to commemorate the occasion.

Madhya Pradesh Police has contributed significantly towards promoting good practices and standards for the sports in Police. I am sure that this Championship will be conducted in an atmosphere of healthy competition and promote high degree of camaraderie.

I sincerely convey my best wishes to all the participants as well as the organizers on the occasion and wish 66th All India Police Duty Meet a grand success.

(Sunil Kumar Bansal)



SANJAY CHANDER, IPS
Director General
Railway Protection Force
New Delhi

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Madhya Pradesh Police is going to organize the 66th All India Police Duty Meet 2022-23 at Bhopal from 13-17 Feb, 2023.

Games and Sports play an important role in development of personality of an individual. It impacts the level of fitness, team spirit, sense of discipline, camaraderie etc. All India Police Duty Meet gives a platform to police personnel to showcase their professional talent, ability and efficiency. Tournaments of this nature in which teams from different States, Union Territories and Central Police organizations are taking part, will certainly bring forth a deep sense of fraternity and esprit-de-corps among the policemen.

I take this opportunity to offer my warm greetings to all the participants and organizers and wish the Championship a resounding success.

17/01/23

(Sanjay Chander)



DILBAG SINGH, IPS
Director General of Police
Jammu & Kashmir

MESSAGE

It is a pleasure to know that 66th All India Police Duty Meet (AIPDM) 2023 is being organised by Madhya Pradesh Police at Bhopal, and for this meet I extend my heartfelt compliments.

Police personnel from 28 States/UTs and 12 Central Police Forces are expected to participate in six different events which are aimed at testing their capabilities in discharging their duties in the changing crime scenario of the country. Police Duty Meets, organized by Central Coordinating Committee of All India Police provides a platform to Police personnel to showcase/share their experiences with their counterparts from other Police organizations of the country. Police Duty Meets are occasions/opportunities which results in greater coordination among the participants of different forces and thereby help in enhancing the efficiency and improving the standard of professional performance of all forces.

I am sure that this AIPDM will also help participating personnel to share/know best practices adopted by their counter parts in other organizations.

I wish Madhya Pradesh Police all the success and good luck in organizing this meet and in future endeavours as well.

(Dilbag Singh)



ANIL KANT, IPS
Director General of Police &
State Police Chief, Kerala

MESSAGE

I am delighted to learn that Madhya Pradesh Police is organizing the 66th All India Police Duty Meet 2023 at Bhopal, from 13th to 17th February 2023.

It is an opportunity for the central as well as State Police forces to showcase their talents.

The participants have made the country proud by their achievements in the past and I am sure, they will continue to do so in future also.

I expect that the Souvenir to be brought out as part of the event will highlight the achievements of Police.

I would like to convey my heartiest wishes to all concerned for the success of the event. My Best wishes to all.

(Anil Kant)



RAJNISH SETH, IPS
Director General of Police
Maharashtra

MESSAGE

I am very happy to learn that Madhya Pradesh Police is organizing the 66thAll India Police Duty Meet 2023 at Bhopal from 13th to 17th February 2023.

Such events are touch stones for testing the capability of our highly motivated Police Forces. I am confident that, by virtue of their vast and varied organisational experience, Madhya Pradesh Police will organize the meet successfully.

May all the participating teams in this meet perform above their potential while maintaining the true traditions of excellence in professional skills, thus making the event a grand success.

(Rajnish Seth)



Dr. Sujoy Lal Thaosen, IPS
Director General
CRPF

MESSAGE

It is indeed a great moment for the Madhya Pradesh Police, as it hosts the 66th Police Duty Meet 2023. The Police Duty Meets have always served as a platform for the Police Forces from across the Nation to come together and understand capabilities, to identify challenges, to understand the pace of progress in technologies that can augment their effectiveness, and above all-learn from each other.

It is very thoughtful of the MP Police to bring out a Souvenir on this momentous occasion. I am certain that the memories so carved on paper, will be cherished by the participants and their organization, and treasured by the Madhya Pradesh Police.

I congratulate the MP Police for hosting the Police Duty meet and extend my best wishes to all the participants of the 66th Police Duty Meet- 2023.

(Dr. Sujoy Lal Thaosen)



AMITABH RANJAN, IPS
Director General of Police
Tripura

MESSAGE

I am happy to know that Madhya Pradesh Police is organizing the 66th All India Police Duty Meet-2023 at Bhopal from 13th to 17th February, 2023 It is an immense opportunity for participants of all State Police, Union Territory and Central Police Organizations from across the country to compete and showcase their professional skills. This will also help to further develop their skills so as to compete at international level

On this occasion, I heartily congratulate Madhya Pradesh Police for hosting the event and extend good wishes to the State Police and all participants for its all-round success

(Amitabh Ranjan)



ANISH DAYAL SINGH, IPS
Indo-Tibetan Border Police
New Delhi

MESSAGE

I am pleased to learn that Madhya Pradesh Police will host the 66th All India Police Duty Meet (AIPDM) in Bhopal, M.P. from February 13-17, 2023.

AIPDM is a one-of-a-kind event that gives members of the Police, Central Police Organizations and Central Armed Police Forces from across the country an excellent opportunity to showcase their sporting abilities in a friendly but competitive atmosphere, while also instilling a greater sense of pride in their profession and spirit-de-corps.

I am sure that the Meet will prove its worth as a distinguished forum wherein assimilation and sharing of sporting experience will benefit all the counterparts in six categories of competition.

I take this opportunity to convey my warm greetings and best wishes to the participants and organizers of this Championship.

Jai Hind!

(Anish Dayal Singh)



P.K. AGRAWAL, IPS
Director General of Police,
Haryana

MESSAGE

I am glad to know that Madhya Pradesh Police is going to organize 66th All India Police Duty Meet w.e.f. 13th to 17th February 2023 at Bhopal and also planning to bring out a Souvenir to mark the occasion.

All India Police Duty Meet offers a remarkable opportunity for the sports persons/participants representing all the Police forces of our country to showcase their talent and bring laurels to their respective forces/States. This event traditionally embodies a spirit of healthy competition and generates a sense of fraternity among the Police force of our country.

The objective of All India Police Duty Meet, since its very inception has been to imbue a quest for excellence among Police officials in various fields of professional Policing. With emerging challenges in the field of Cyber Crimes and Economic Offences, the salience of All India Police Duty Meet has gone up manifold.

I am sure that this edition of AIPDM would go a long way towards enhancing the professional and investigative expertise of participating teams.

I wish all success to the organizers and participants. I am confident that it shall be spectacular event in the true tradition of Madhya Pradesh Police.

07/4/23

(P.K. Agrawal)



ASHOK JUNEJA, IPS
Director General of Police
Chhattisgarh

MESSAGE

I am pleased to know that Madhya Pradesh Police is hosting the 66th All India Police Duty Meet 2022-2023 from 13th to 17th February in Bhopal.

The All India Police Duty Meet provides an excellent opportunity to the talented policemen of various states and CAPFs to showcase their professional skills. Such events contribute in developing team spirit, Healthy competition and leadership in the force. The Police meet also provides an excellent platform for exchange of good practices among different units which enhance the professional expertise of the Police personnel in various fields.

On this occasion, I convey my best wishes to the organizers and all participants of this meet for a grand success.

(Ashok Juneja)



UMESH MISHRA, IPS
Director General of Police
Rajsthan

MESSAGE

I am glad to know that the 66th All India Police Duty Meet-2023 is being organized by the Madhya Pradesh Police from 13th to 17th February 2023 at Bhopal (M.P.).

The All India Police Duty Meet Competitions help in developing competitive spirit in exhibition of knowledge related to various police subjects such as Finger Prints and Foot Prints lifting, Scientific Aids to Investigation, Medico-legal, Police- Portrait, Photography, Police Dog competition, Computer Awareness and other similar topics. Such competitions boost the professional knowledge of Police personnel which will help them in their day-to-day investigations.

I convey my best wishes to all the participants and the organisers for the success of the 66th All India Police Duty Meet- 2023.

(Umesh Mishra)



ANJANI KUMAR, IPS
Director General of Police
Telangana

MESSAGE

I am extremely happy to know that the 66th All India Police Duty Meet 2022-2023 is being organised by the Madhya Pradesh Police from 13th to 17th, February, 2023 in Bhopal.

The annual Police Duty Meet provides a competitive platform to officers and men from All States and Central Police Organisations to show case their expertise in different Departments of policing. It also gives an opportunity to interact and learn new methods, procedures and innovations from sister Organizations.

I am sure that organizing of such Duty Meet will provide an excellent opportunity to the participants to demonstrate their professional skills and also provide the benefit of acquiring additional knowledge of latest Techniques of Scientific Methods of investigation resulting in speedy and more efficient disposal of crime.

I extend my warm greetings and felicitations to the participants and Organizers and wish the event a grand success.

23.1.23.

(Anjani Kumar)



Rajwinder Singh Bhatti, IPS
Director General of Police
Bihar

Bihar Police

MESSAGE

I am extremely happy to know that 66th All India Police Duty Meet, 2023 is being organized and hosted by Madhya Pradesh Police.

2. The event would provide an excellent opportunity for the State Police and Central Armed Police Forces to showcase their professional knowledge andalso promote better understanding and closer coordination.

3. I extend my warm greetings and best wishes to the organizers and participants for success of the 66th All India Police Duty Meet, 2023.

10/2/2023

(Rajwinder Singh Bhatti)



Dr. L.R. BISHNOI, IPS
Director General of Police
Meghalaya, Shillong

MESSAGE

I am extremely delighted to learn that Madhya Pradesh Police will be hosting the '66th All India Police Duty Meet, 2023' at Bhopal from 13th to 17th February, 2023.

Law enforcement agencies at Centre and states are having increasing requirements for scientific investigation of emerging crimes. Scientific aids are an integral part of the daily routine of any investigating officer. Apart from being essential for promptly cracking down the complex cases, they play a major role in enhancing the knowledge and skill of IOs.

I firmly believe that this event will provide an excellent opportunity for the participants from state police and central police forces to demonstrate their knowledge (theoretical as well as practical) and skill in handling various instruments. I sincerely hope that this duty meet will bring out the best in the participants as well as the organisers.

I convey my best wishes to the organisers, contenders and officials and wish 66th All India Police Duty Meet, 2023 a grand success.

(Dr. L.R. BISHNOI)



GYANENDA PRATAP SINGH, IPS
Director General of Police
Assam

MESSAGE

I am delighted to learn that Madhya Pradesh Police is organizing the 66 All India Police Duty Meet 2023 at Bhopal from 13” to 18 February, 2023.

I am sure that this chaty meet will provide an opportunity to the officers to show-case their skills and prowess at the events. This will also provide an opportunity for the participants to interact and share personal and professional experience bringing in a spirit of bonhomic and ‘espirit de corps’.

I wish the Organizers and the participants Godspeed and

Good Luck.

7/2/23

(Gyanendra Pratap Singh)



K.V. RAJENDRANATH REDDY, IPS
Director General of Police
Andhra Pradesh

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that the 66th All India Police Duty Meet-2022 is being organised by the Madhya Pradesh police from 13-17 February, 2023

The All India Police Duty Meet is an important event for investigation officers to exhibit various skills pertaining to investigation. it provides a unique platform to police officers to compete with each other in various activities like Photography, Videography, Computer awareness, Scientific aids to investigation etc.

I convey my best wishes to the organizers and participants for successful conduct of the All India Police Duty Meet-2022

(K.V. Rajendranath Reddy)



DEVESH CHANDRA SRIVASTVA, IPS
Director General of Police
Mizoram

MESSAGE

I am delighted to know that the Madhya Pradesh Police is organizing 66thAll India Police Duty Meet (AIPDM) from 13th to 17th February 2023 at Bhopal, and a Souvenir is also being brought out to mark this Mega Event.

2. All India Police Duty Meet has a great history and tradition. I am sure that the event will provide an opportunity to the participants to display their acquired skills in Scientific Aids to Investigation, Police Photography, Computer Awareness, Dog Squad Handling, Anti-Sabotage Check and Police Videography, which are of vital importance in day to day practical Police work on ground investigation for professional and scientific.

3. Police Duty Meet on such a large scale will provide a chance to the participants of various states and organisations to learn from each other, acquaint themselves about best practices, and foster everlasting spirit of bonhomie and camaraderie among them across various ranks.

4. I extend my best wishes to the participants and the organizers for grand success.

Devesh
02/02/2023
(Devesh Chandra Srivastva)



JASPAL SINGH, IPS
Director General of Police
Goa

MESSAGE

I am delighted to know that Madhya Pradesh Police, Bhopal is hosting the most prestigious event - the 66th All India Police Duty Meet - 2023 at Bhopal from 13th to 17th February 2023 and a souvenir is also being brought out to mark the occasion.

Organization of such events serve as a platform to exhibit the professional prowess of various States/UT Police forces and other central Police organisations.

I take this opportunity to send my greetings to the participants and organisers and wish this spectacular event all success.

(Jaspal Singh)



DEVENDRA SINGH CHAUHAN, IPS
Director General of Police
& Head of The Police Force
Uttar Pradesh

MESSAGE

I am pleased to know that Madhya Pradesh Police is hosting 66th All India Police Duty meet 2023, at Bhopal form 13th to 17th February, 2023.

All India Police Duty Meet is organized annually since 1953 to test the professionalism and professional quality of the police officers and Staff. This is an event which evaluates and recognises the operational excellence of police personal in National level.

Bhopal, city of cultural amalgamation, founded in the 11th century by King Bhoja, famous for it's great lake with water from 365 rivers; is the host city.

I am glad to know that about 1500 participants form 28 State/UTs and 12 Central Police Organisations are likely to participate in six events namely

1.Scientific Aids to Investigation 2. Police Photography 3. Computer Awareness Test 4. Dog Squad 5. Anti Sabotage Check and 6.Police Videography. These events are useful for detection of crime by use of latest scientific methods and technology and in developing police skills for detection of crime.

Competition like All India Police Duty Meet inculcates grit, enthusiasm, leadership ability, self-confidence, discipline, consistency, creative thinking and all-round expertise in police personnel.

I take this opportunity to convey my greetings and best wishes to the members of the organizing committee, editorial board of the souvenir and all the participants of the event for a successful 66th All India Police Duty Meet 2023.

08/2/2023

(Devendra Singh Chauhan)



Ashok Kumar, IPS
Director General of Police,
Uttarakhand

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that Madhya Pradesh Police a hostingthe 66th All India Police Duty Meet-2023 from 13-02-2023 to 17-02-2023 at Bhopal and bringing out a souvenir to mark the occasion.

The annual Police Duty Meet provides a competitive platform to officers and men from all states and central police organizations to showcase their expertise in different wings of policing. It also gives an opportunity to interact and learn new methods, procedures, and innovations from sister organizations.

I extend my warm greetings and felicitations to the organizers and the participants for a successful event.

(Ashok Kumar)



भगोरिया

मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बढ़ते कदम

● **गोविन्द प्रताप सिंह (भा.पु.से.)**
विशेष पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएं/ सी.आई.डी., भोपाल, म.प्र.

मध्यप्रदेश की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए माह जनवरी 2022 एक अलग महीना था, जब माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए कई विपरीत टिप्पणियां की तथा साथ ही पुलिस महानिदेशक म.प्र. महोदय को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को सुधारा जावे। उक्त आदेश के उपरांत पुलिस मुख्यालय द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला पर विशेष ध्यान देना आरंभ किया गया।

न्यायपालिका की प्रमुख आपत्तियों का कारण डीएनए की परीक्षण रिपोर्ट का विलंब से प्रस्तुत होना था। डीएनए लैब सर्वप्रथम राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में वर्ष 2007 में आरंभ की गई थी। डीएनए उस समय पुलिस के लिये भी एक नया विषय था तथा कुछ विशिष्ट प्रकरणों में ही डीएनए परीक्षण कराया जाता था। समय के साथ-साथ जिलों में विशेष प्रकरणों में डीएनए परीक्षण कराये जाने की मांग बढ़ती गई, किन्तु वर्ष 2016 में राजा वर्मन विरूद्ध म.प्र. शासन में यह निर्णय दिया कि ऐसे प्रत्येक प्रकरण में डीएनए परीक्षण आवश्यक रूप से कराया जावे, जिसमें मानव वीर्य की उपस्थिति पायी जाती है। इसी प्रकरण में वर्ष 2019 में सूरज पाल आदिवासी विरूद्ध म.प्र. शासन में यह आदेशित किया गया कि जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा राजा वर्मन विरूद्ध म.प्र. शासन में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

जहां प्रयोगशाला में वर्ष 2015 में मुश्किल से 429 प्रकरण परीक्षण हेतु आते थे, वहीं वर्ष 2019 में 5,752 प्रकरण परीक्षण हेतु प्रयोगशाला आये, जबकि प्रयोगशाला की वार्षिक क्षमता मात्र 1103 थी। जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होने लगी। यह वृद्धि लगातार बढ़ती गई तथा वर्ष 2020 में 6,795 प्रकरण परीक्षण हेतु आये। इसे देखते हुए तत्काल वर्ष 2020

Year	Backlog	Received	Total	Disposal	Pending
2015	573	429	1002	606	396
2016	396	992	1388	1219	169
2017	169	1602	1771	1351	420
2018	420	2450	2870	1166	1704
2019	1704	5752	7456	1103	6353
2020	6353	6795	13148	2510	10638
2021	10650	5336	15986	4856	11130
2022	11130	4577	15707	6117	9590

में भोपाल डीएनए लैब आरंभ की गई किन्तु जब तक 10,000 से अधिक प्रकरण लंबित हो चुके थे।

वर्ष 2018 में पाक्सो एक्ट में हुये संशोधन के उपरांत यह अनिवार्य किया गया कि पाक्सो एक्ट के प्रकरणों का अन्वेषण 02 माह में पूर्ण किया जावे तथा न्यायालीन प्रक्रिया भी 01 वर्ष में पूर्ण की जावे। अत: न्यायालयों से लगातार प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के पत्र आने लगे तथा माननीय उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में 17 जनवरी 2022 में आरएफएसएल इंदौर की डीएनए लैब आरंभ की गई।

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली के उन्नयन हेतु पहली बार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की पदस्थापना निदेशक के रूप में एफएसएल में की गई। पुलिस मुख्यालय का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में बढ़ाया गया तथा यह सुनिश्चित किया जाने लगा कि किसी भी प्रकार की क्रय प्रक्रिया, उपकरणों तथा खपने योग्य सामग्री की पूर्ति समय से की जावे।

वैज्ञानिक अधिकारियों के मासिक लक्ष्य पुन: निर्धारित किये गये तथा यह सुनिश्चित किया गया कि लक्ष्य की पूर्ति की जावे। जिसके सार्थक परिणाम आये तथा वर्ष 2022 के अंत तक पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड तोड़ते हुए परीक्षण की क्षमता को 46 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

वर्ष 2022 का मासिक कार्य:-

DATA OF CASES RECEIVED AND DISPOSED OF 2022						
Sr	**Year**	**Backlog**	**Received in the Month**	**Total**	**Disposed in the Month**	**Pending at the end of Month**
1	January	39834	2447	42281	2365	39916
2	February	39916	2696	42612	2272	40340
3	March	40340	2929	43269	2238	41031
4	April	41031	2976	44007	2315	41692
5	May	41692	3309	45001	2458	42543
6	June	42543	2993	45536	2803	42733
7	July	42733	2632	45365	2878	42487
8	August	42487	3252	45739	2867	42872
9	September	42872	3744	46616	3254	43362
10	October	43362	3303	46665	3235	43430
11	November	43430	3957	47387	3334	44053
12	December	44053	3897	47950	3417	44533
Total of 2022		**38135**		**33436**		

वर्ष 2012 से 2022 तक का कार्य :-

Year	Backlog	Received in the year	Total	Disposed in the year	Pending at the end of Year	Average incoming per month	Average disposal per month
2012	9838	20320	30158	25213	4945	1693.33	2101.08
2013	4945	22354	27299	24264	3035	1862.83	2022
2014	3035	23123	26158	20959	5199	1926.92	1746.58
2015	5199	23497	28696	21956	6740	1958.08	1829.67
2016	6740	24573	31313	27144	4169	2047.75	2262
2017	4169	26083	30252	22032	8220	2173.58	1836
2018	8220	27154	35374	22929	12445	2262.83	1910.75
2019	12445	34136	46581	23435	23146	2844.67	1952.92
2020	23146	31151	54297	21978	32319	2595.92	1831.5
2021	32319	36156	68475	24431	44044	3013	2035.92
2022	44044	38135	82179	33436	48743	3177.92	2786.33

प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अधिकारियों की 60 प्रतिशत कमी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की 63 प्रतिशत कमी की पूर्ति हेतु काफी प्रयास किये गये, तथा माह दिसम्बर 2021 में पीएससी द्वारा 44 वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। किन्तु इसका वास्तविक लाभ माननीय मुख्यमंत्री के एक लाख पदों को भरे जाने की घोषणा के उपरांत हुआ, जब शासन के द्वारा द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती की अनुमति दी गई, जिसमें एफएसएल भी शामिल था। जिसकी प्रक्रिया आंरभ हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डीएनए की पेंडेंसी एवं भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 1,000 डीएनए परीक्षण का लक्ष्य 2024 तक किया गया। इसी तारतम्य में शासन द्वारा 02 नवीन प्रयोगशाला रीवा तथा रतलाम एवं 01 नवीन डीएनए प्रयोगशाला जबलपुर की स्वीकृत की गईं, जहां निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। डीएनए की क्षमता बढ़ाने के लिये ग्वालियर में 01 नवीन डीएनए लैब को खोलने का लक्ष्य मई 2022 तक निर्धारित किया गया था, किन्तु टेंडर फेल हो जाने के क्रय प्रकिया में समय लगता गया अन्ततः 14 जनवरी 2023 को ग्वालियर की डीएनए लैब आरंभ की गई।

वर्ष 2022 में एफएसएल में 8.5 करोड़ रूपये के उपकरण राज्य बजट से क्रय किये गये तथा 5.6 करोड़ रूपये से खपने वाली सामग्री क्रय की गई। माह दिसम्बर 2022 तक खपने वाली सामग्री इतनी क्रय कर ली गई है कि अगले बजट सत्र के 02 माह तक प्रयोगशालाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न पड़े। अकेले डीएनए ही नहीं अपितु रसायन शाखा हेतु भी ळब्.डै.डैए ।सबवसलेमत जैसे कुछ नये उपकरण क्रय किये गये हैं, जिनके परिणाम आने अभी शेष हैं।

Mobile App for I/Os in MP- “e-VIVECHNA APP”

● State Crime Record Bureau (SCRB)
Madhya Pradesh Police

Brief introduction

Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) is a nationwide robust, reliable network system with large amount of criminal data. However, its use has been limited to generating crime statements and statistics. Madhya Pradesh Police visualised the use of this network at a higher level and conceptualised and developed an application called e-Vivechna for Investigation Officers (IO) to conduct speedy and transparent investigation of police cases through the aid of tablet and e-pen.



e-VIVECHNA App or e-Investigation App is a software provided to IOs which is loaded in portable tablets to capture details of scene of crime like- photo/ videos, statements of victims, witnesses and filling case diary with the help of voice to text facility.

This application was conceptualised to make the important task of investigation accountable to victims, transparent in the eyes of people, convenient for the investigating officer's better answer the question of trial courts and to meet the aspirations in terms of quick disposal of criminal cases.

Modules

e-Vivechna app has 03 modules namely-1. Case Diary 2. Photography/ Videography 3. Scene of Crime Details form.

Capacity Building

As this App is a new concept over traditional way of investigation hence, before its launch comprehensive and detailed planning was done to provide proper training to the IOs & TOTs. Till date more than 3000 police personnel's have been trained. As an outcome till date, over 92000+ case diaries in 26000+ cases have been submitted through this app.

Key highlight :

- Evidence can be collected on the scene of crime itself and are linked

with respective FIR on spot.

- The evidence and statements are geotagged & time stamped stored in State Data Centre and cannot be tempered subsequently.
- Automated & Accurate Latitude, Longitude details are captured.
- “Voice to text” feature of Tabs helps in fast & easy writing of statements and case diary.
- It has eliminated subjectivity and human error which has led to transparency in

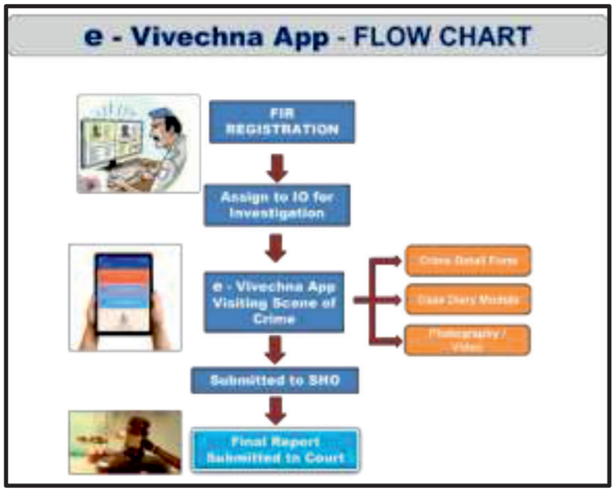
  investigation.

Impact on citizen/police

- Transparent & fast investigation-
- Elimination of extraneous influences on investigation.
- Facilitate I/Os to fill the case diary from the scene of crime.
- Take secured (time stamped & geo tagged) photographs and video of the crime scene.
- Better analysis of crime.

Adaptability /scalability

- Procurement of more tablets for all the IO’s of the State of MP.
- Addition of all IIF like Arrest/ Surrender, Property Seizure etc.
- To integrate with Interoperable Criminal Justice System (ICJS) &



  National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS)- increase the sphere of search of accused/suspect/wanted persons.

The need of the hour is to be tech-aided, fast, just & transparent. MP Police is the first state in the country to conceptualize, launch and operate the e-investigation app successfully with 80000+ case diaries on it. This initiative has already caught the eye of various stakeholders of criminal justice system like Hon’ Courts, NIC, NCRB, FICCI and Digital India initiation of Meity.

Conclusion

e-Vivechna App has aid to component of transparency and reliability and police investigation. It has also increased the trust of. Hon`ble Trial courts in police investigation as the feature of this app known to the Judges. As a mark of trust investigation documents e-sign through e-pen /stylus in e-vivechna application has been made admissible in the court of law.

मध्यप्रदेश में चिन्हित अपराधों की अभिनव पहल

● श्री गोविन्द प्रताप सिंह (भा.पु.से.)
विशेष पुलिस महानिदेशक,
सी.आई.डी. भोपाल, म.प्र.

मध्यप्रदेश में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों के नियंत्रण एवं पतासाजी कर अपराधियों को कठोरतम दण्ड से दण्डित कराने हेतु वर्ष 2008 में एक अनूठी पहल करते हुये ''चिन्हित अपराध'' योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे गंभीर अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जिनका समाज पर व्यापक विपरीत प्रभाव पडता है। इस योजना में गंभीर प्रकृति के अपराधों को ''चिन्हित'' कर त्वरित एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाकर अतिशीघ्र अन्वेषण पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है एवं अभियोजन से सतत समन्वय कर शीघ्रातिशीघ्र माननीय न्यायालय से निर्णय कराकर दोषियों को कठोरतम दण्ड हेतु प्रयास किया जाता है।

इस योजना में हत्या के वीभत्स प्रकरण जैसे- जिन्दा जला देना, दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थल पर किसी हथियार से निहत्थे व्यक्ति को मार डालना, सामूहिक हत्या काण्ड, हत्या के साथ डकैती, बैंक, सर्राफा एवं सार्वजनिक स्थल पर दिन दहाड़े डकैती, सामूहिक बलात्कार/नाबालिग के साथ दुष्कृत्य, अपहरण के साथ हत्या, पुरातत्व महत्व की धार्मिक मूर्तियों की चोरी जिनसे जन सामान्य की धार्मिक भावनायें जुड़ी हों, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार तथा नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, आतंकवादी कृत्य, बडे स्तर के सफेद पोश अपराध, नक्सलियों द्वारा घटित अपराध, महत्वपूर्ण सायबर क्राइम, बडे पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाली फैक्ट्री के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध, महत्वपूर्ण एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध, वाईल्ड लाईफ से संबंधित महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाऐं सम्मिलित किये जाते हैं।

इस श्रेणी में सम्मिलित अपराधों की रोकथाम, पतासाजी एवं अभियोजन हेतु बेहतर अनुसंधान, बेहतर समीक्षा एवं बेहतर अभियोजन जैसे तरीके अपनाये जाते है। बेहतर अनुसंधान के अन्तर्गत साक्षियों का चयन,वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन पर विशेष जोर, अनुसंधान के दौरान अभियोजन शाखा का सहयोग,विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P. - विभिन्न श्रेणी के अपराधों के लिए) अनुसंधान अधिकारियों का प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं।

बेहतर समीक्षा के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों की समीक्षा हेतु जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं। जिनकी समय-समय पर मासिक समीक्षा की जाती है। प्रत्येक माहजिला स्तरीय समिति,जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता की उपस्थिति में, सभी संभागों में संभाग स्तरीय समिति, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में एवं राज्य स्तरीय समितिअपर मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकअअवि, प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, म.प्र. शासन, संचालक लोक अभियोजन की उपस्थिति में समस्त दोषमुक्त प्रकरणों की अनुसंधान एवं अभियोजन स्तर पर कमी के संबंध में पुनरावलोकन किया जाता है।

बेहतर अभियोजन के अन्तर्गत प्रत्येक चिन्हित प्रकरण मेंलोक अभियोजक को सहयोग प्रदान करने हेतु थाना स्तर पर पैरवी अधिकारी एवंनियमित संवर्ग के अभियोजन अधिकारियों को चिन्हित प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक ''चिन्हित अपराध'' योजना लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप, इस योजना के अन्तर्गत कुल अपराधों में से 9580 अपराध ''चिन्हित'' किये गये जिनमें से माननीय न्यायालय से 5629 प्रकरण निराकृत हुऐ, इन निराकृत प्रकरणों में से 82 प्रकरणों में मृत्यु दण्ड, 2509 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1138 प्रकरणों में सश्रम कारावास के कठोर दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा अपराधियों को दण्डित किया गया। इस प्रकार इस अभिनव योजना के परिणाम स्वरूप दोष सिद्धि का कुल प्रतिशत 66% से अधिक रहात था वर्ष 2022 में सजायाबी का प्रतिशत 71% रहा है चिन्हित अपराध में दोषसिद्धि से समाज में जहाँ एक ओर पुलिस के प्रति विश्वास की भावना सुदृढ़ हुई वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के गंभीर एवं जघन्य अपराध घटित करने वाले अपराधियों में भय व्याप्त होकर उनके होंसले पस्त हुये एवं इस प्रकार के गंभीर, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई है।

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही ''चिन्हित अपराध'' योजना को देश के व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रमुख संस्था फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन्डस्ट्रीज़ (FICCI) द्वारा प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण को बढ़ावा और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में घोषित स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड- 2019 में मध्यप्रदेश पुलिस को अवार्ड प्रदान कर गौरवान्वित किया गया है।

मध्यप्रदेश के इस रोल माडल की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है तथा कुछ अन्य राज्यों के द्वारा म.प्र. पुलिस के इस विशेष प्रयास को उनके राज्यों में भी लागू करने का विचार चल रहा है।



पुलिस अनुसंधान में स्वदेशी डॉग्स : एक बेहतर विकल्प

● मो. यूसुफ कुरैशी (भा.पु.से.)

पुलिस अनुसंधान में परम्परागत तौर पर विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा श्वानों की विदेशी प्रजातियों का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन विगत कुछ वर्षो में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस व कुछ राज्यों की पुलिस (यथा केरल, म०प्र०) इत्यादि द्वारा प्रायोगिक तौर पर स्वदेशी नस्ल की प्रजातियों को भी प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है ताकि पुलिस की अनुसंधान संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सकें ।

उन्नत देशी नस्ल के श्वान क्यो ?

- भारतीय प्रजाति के होने से इनका रखरखाव सस्ता व आसान होगा क्योंकि ये यहाँ के पर्यावरणीय दशाओं व प्रकृति के अनुरूप ढल सकेंगे ।
- इनकी प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की होती है । अतः यह बीमार कम पड़ते है ।
- इनकी घ्राण शक्ति (Sense of Smell), सहनशक्ति (Endurance), तथा चुस्ती फुर्ती (Agility) उच्च स्तर की होती है।
- आर्मी, पैरामिलिट्री में भी इनकी उपयोगिता के आधार पर इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इनकी महत्वता सिद्ध हुई है ।
- इनका बाजार मूल्य विदेशी नस्ल के श्वानो की तुलता में काफी कम है ।

(i) मुधोल हाउण्ड :-

कर्नाटक के बगलकोट इलाके के मुधोल में पाई जाने वाली श्वान की ये प्रजाति शिकार और रफ्तार के मामले में जर्मन शेफर्ड से दोगुनी तेज मानी जाती



है, इसे कैरावान भी हाउंड कहा जाता है, वहीं कर्नाटक के कई इलाकों में ये करवानी नाम से प्रचलित है, इसे खसतौर पर इसकी स्वामी भक्ति के लिये जाना जाता है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी वफादारी की मिसाल देते हुए इस नस्ल का नाम लिया था, अंग्रेजी के शासन काल में मुधोल हाउंड की प्रसिद्धि चरम पर थी, मुधोल हाउंड श्वानों की वफादारी, शिकारी गुण और चुस्ती के कारण ही 2017 में पहली बार देशी नस्ल के श्वानों के रूप में इन्हे भारतीय सेना में शामिल किया गया था । मुधोल हाउण्ड एक अच्छे

स्नाइफर डॉग के रूप में उभरे हैं। इनकी ट्रेनिंग क्षमता के बारे में काफी अच्छी फीडबैक है, साथ ही ये अच्छे नार्को के रूप में भी साबित हुए हैं ।

Country of Origin:	India
Group:	Hound
Life Span:	10 to 12 Years
Trainability :	Moderate Effort Required
Energy Level:	Medium Energy
Grooming:	Brushing Once a Week or Less
Protective Ability:	Good Watchdog

Hypoallergenic Breed:	No
Space Requirements:	House with Yard
Compatibility With Other Pets:	Generally Good With Other Dogs
	Likely to Chase or Injure Non-Canine Pets
	Not Recommended For Homes With Small Animals
Weight /Height	48-62 lbs, 24-30 inches

(ii) रामपुर ग्रे हाउण्डः—



Basic Breed Information mudhol hound

20वीं शताब्दी के शुरुआत में रामपुर के नवाब अहमद अली खान ने अफगान हाउंड और इंग्लिश ग्रेहाउंड की क्रास ब्रीड से तैयार की स्वदेशी नस्ल, जिसका नाम पड़ा रामपुर ग्रेहाउंड इसे शिकार करने के मकसद से तैयार किया गया था तथा यह अपने इस काम में माहिर निकले, रामपुर ग्रेहाउंड किसी एक मास्टर की बात मानने वाले श्वान होते है।

Basic Breed Information Kanni :-

Country of Origin:	India
Group :	Hound
Life Span :	13 to 14 Years
Trainability :	Moderate Effort Required

Weight /Height :	24-30 inches, 60-65 pounds.

(iii) राजापलायमः-



दूध के रंग जैसी सफेद पतली खाल वाली श्वानों की इस प्रजाति का नाम तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के राजापलयम शहर के नाम पर रखा गया है, लंबे और दुबले दिखने वाले ये श्वान जंगली सुअरों के शिकार और रखवाली के लिए जाने जाते है, आम श्वानों का जीवन जहां 10 से 15 साल होता है वहीं राजापलयम नस्ल के श्वान 20 साल से ज्यादा की जिंदगी जीते हैं, 9 जनवरी 2005 को भारतीय डाक सेवा द्वारा 4 स्वदेशी नस्ल के श्वानों के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। जहां अन्य श्वानों के डाक टिकट की कीमत 5रूपये रखी गई वहीं राजपलायम नस्ल के डाक टिकट की कीमत 15रूपये थी, राजापलायम नस्ल अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और चुस्ती के लिए जानी जाती है।

Basic Breed Information Rajapalayam :-

Country of Origin:	India
Temperament	Extremely loyal, gourd Dog, Socialize, hunting instincts.
Life Span:	09 to 12 Years
Trainability	Moderate Effort Required
Weight /Height	25-30 in., 65-70 pounds

(iv) कन्नी :-



तमिल में कन्नी का मतलब होता है शुद्ध, इस नस्ल को इसकी बफादारी और इसके सच्चे मन के लिए कन्नी नाम दिया गया है, इस नस्ल के श्वान किसी भी हाल में अपने मालिक और उनके घर की रक्षा करते हैं, इसके साथ ही जंगली जानवरों के शिकार के लिए भी लोग इन्हें पालते हैं, कन्नी ओर चिप्पीपराई नस्ल के श्वान लगभग एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन दोनों की नस्लें अलग अलग है, पहले के समय में कन्नी नस्ल को अधिकांशतः जमींदार पाला करते थे ये श्वान उनकी फसलों और घर की रखवाली के काम आते थे, कन्नी नस्ल के श्वानों की उम्र 14 से 16 तक होती है।

Basic Breed Information Kanni :-

Country of Origin:	India
Temperament	Extremely faithful, very loyal to where family.
Life Span:	14 to 16 Years
Trainability	Moderate Effort Required
Weight /Height	25-29 inches, 16-22 kg.

(v) चिप्पीपराई

तमिलनाडु के मदुरै का एक शहर है चिप्पीपराई, श्वानों की इस नस्ल का नाम इसी शहर के नाम पर रखा गया है, ज्यादातर ये नस्ल तमिलनाडु में पाई जाती है, इसके साथ ही केरल के पेरियार झील के पास भी इस नस्ल के श्वान मिलेंगे ये पक्के शिकारी श्वान है जिन्हें लोग



विशेष रूप से शिकार करने के लिए ही पालते हैं, तेज भागना और 10 फुट से ज्यादा लंबी छलांग लगाना इनकी सबसे बड़ी खूबी है, हलके पीले, काले, लाल भूरे, काले रंग के कोट और सिल्वरग्रे रंग में पाए जाने वाले ये श्वान अन्य श्वानों के मुकाबले ज्यादा समझदार होते है।

Basic Breed Information Chippiparai :-

Country of Origin:	India
Life Span:	12 to 15 Years
Trainability	Moderate Effort Required
Weight /Height	20-25 inches, 30-65 lbs

(vi) कोम्बाई



कोम्बाई का नाम भी तमिलनाडु के एक शहर के नाम पर ही रखा गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर कोई ऐसा बैठा हो जो चुप चाप नजर रखे रहे है और चुपके से घर में घुसने वाले को अच्छे से खबर ले तो कोम्बाई इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, इसी वर्ष

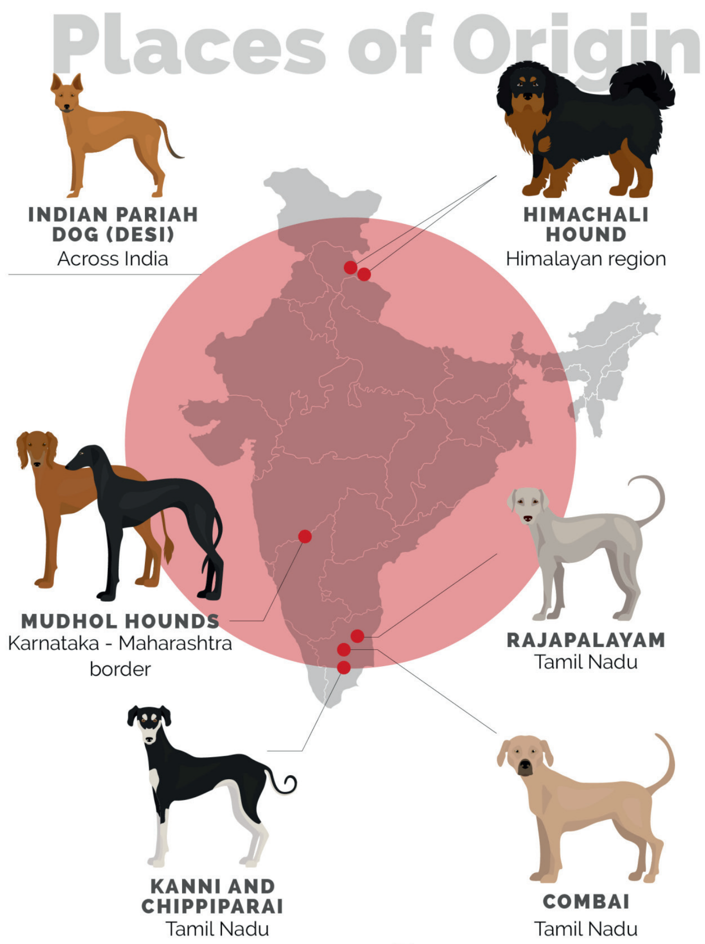
सीआरपीएफ ने कोम्बाई नस्ल के श्वानों को भर्ती किया है, ये चालाक और स्वामी भक्त होते हैं इसके साथ साथ ये ताकतवर भी हैं।

Basic Breed Information Kombai :-

Country of Origin:	India
Group	Hunting
Temperament	Tendency to hunt, Pack leader, natural, but gentle authority.
Life Span:	12 to 15 Years
Trainability	Moderate Effort Required
Weight /Height	22-26 inches, 30-35 kg.

वस्तुतः पूर्व में यह कभी प्रयास किया ही नही किया गया कि इस पुलिस अनुसंधान में स्वदेशी श्वानों की उपयोगिता भी परखें, जबकि श्वानों की वफादारी, समझदारी व प्रतिशोध की ढेरोकहानियाँ भारतीय जनमानस के मध्य प्रचलित है।

आवश्यकता इस बात की है कि उपयुक्त देशी नस्ल के श्वानों की प्रजातियों का चयन किया जाए, उनकी योग्यता, प्रशिक्षणानुकूलता व शारीरिक मापदंडों के अनुसार पेरेन्टल लाइन सिलेक्शन किया जाय, सिलेक्टिवब्रीडिंग (ट्रेट्स की उपयुक्तानुसार) की जाए तो कालांतर में निश्चित तौर पर हमें वोप्रजातियाँ प्राप्त होंगी जो पुलिस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेशी नस्लों से किसी भी स्थिति में कम पारगत नहीं होगी।



Context and Current Scenario of Women's Safety

● **Nitesh Bhargava**
(Assistant Inspector General,
Women Safety, Indore Zone)

In all forms of crime, crimes against women are of a very sensitive category. Before the rule of law became prevalent and even before the separation of crime from immorality, immorality related to women was kept in a very sensitive category. The Rule of Law defines crime in any nation and prepares for the role of classification in crime and immorality. The level to which a nation moves away from the 'Rule of Religion' to the 'Rule of Law', the more the division of immorality and crime becomes clear. In some ways, it can be considered analogous to the separation of the judiciary from the executive. Women's related issues are the most sensitive subject in the line between immorality and crime. Even today in many countries, contradictions are seen in the judiciary, executive, and public opinion regarding this division.

The line between immorality and crime in the Indian context is often determined by social acceptance, sound rational tradition, religious texts, and legal definitions. Ever since independence and especially since the advent of social media, the area of immorality has shrunk, and crimes are being defined in a new way. The dimensions and urges of gender discrimination are now very limited. Till a decade ago, when homosexuality was a subject of abuse, sin, and shame, now other categories like LGBTQ are coming forward openly with their rights and sense of freedom. Movements are being made for the free expression of gender-based behavior. The judgment of the Supreme Court in Navtej Singh Johar and others vs Union of India (2018) is an important starting point in this debate. Although the free expression of sexual practices is yet to be tested on the constitutionally provided freedom of life and expression, social decency, and Indian socio-cultural parameters.

Prenatal tests, domestic violence, prohibition of child marriage, marriage protection for Muslim women, and sexual exploitation of women at the workplace have been central to the Acts related to crimes against women in the last few decades. In keeping with the sensitive and women-oriented approach, innovative amendments have also been made to the major statutes of IPC and CrPC. The amendments of 2013 and 2018 very sensitively keep the women's side moving





in this direction. However, the POCSO Act of 2013 is a milestone in crimes against women, although it is not only for crimes related to women. But treating children below the age of 18 years equally instead of keeping them in separate categories can be called an innovative initiative in Indian justice and legal history. Now there are discussions about making the Indian Penal Code also gender-neutral. The Act has been continuously updated from time to time to suit the developments and new patterns of offenses. That is why it has been the most used Act in the last decade. However, due to the changing nature of crimes, the wide flow of information, and the increasing interference of social media, the average age at which children understand crime, assess its consequences, and tend towards it has decreased. Due to these mixed reasons, the rate of children becoming victims of crime has also increased rapidly. That is why the cases of the trial of minor abusers (children in conflict with the law) are also increasing. In this sequence, Article 83 of the Indian Penal Code also needs to be redefined.

Women and children are generally considered to be more vulnerable, which is also reflected in social behaviour. In these circumstances, the addition of an important aspect to the POCSO Act is highly anticipated. The category of punishment for grievous hurt or damage to the genitals caused to a minor victim during sexual assault and causing her mental illness or permanent or temporary incapacity to work due to any kind of impairment extends to death penalty but in these offenses at present, there is no penal provision regarding the mental trauma caused to the victim. After these incidents, there is no method to measure the mental distortion and fragmentation in the mindset. Mental trauma and illness need to be defined separately and the specialist to be identified for

their medical confirmation. Only Mental illness has been mentioned in the Mental Health Act. Not many medical tests are usually done regarding impairment and trauma. There is a need to amend towards inclusion of mental trauma which is likely to distort the whole life and outlook of the victim. Certainly new provisions on this subject should be included in the Act by involving experts in child psychology and children behaviour. Corresponding to this, similar changes are expected in the legislation and process of evidence and preparation of scientific standards, tools, methods for testing mental trauma is the need of the hour. Recently, in the 57th All India Conference of Directors General/Inspectors General of Police, the Hon'ble Prime Minister expressed the idea of making the police more sensitive as well as trained in the effective use of new technology. It is a crucial time when we can make POCSO and other women-related Acts more sensitive by using new and scientific techniques and methods and thus increased punishment will surely instill fear in criminals and assurance of fearlessness in society. Promoting innovative technology and scientific tools can ensure more convictions for crimes. There is a huge difference in the quality and stability of human evidence and evidence collected based on scientific tools. Human evidence vitiates and changes with time, it can be influenced by inducement, fear, intimidation, etc. To counter this, the Witness Protection Scheme has been effective since 2018, but providing separate human resources for it and continuously monitoring it can be very difficult and costly, and it is not feasible in every case. Scientific and technology-based evidences are permanent, and sometimes scientific tools and technical evidence are of very low maintenance cost as compared to maintaining human evidence when the trial is time-consuming. Hence, it is time to bring technology and sensitivity together.

From this point of view, especially in crimes related to women, the evidence of sexual assault on women is rarely shown clarity in the medical examination. Although this happens due to a lack of time, technique, sensitivity, and human resources. Because there is still a need for human and technical resources in proportion to the registration of crimes. However, the direct benefit of these ambiguities goes to the accused. At present, evidence of the sexual assault has not been found, even after a few days. In this regard, there is a need for new research and techniques, as well as a thorough investigation.

In the context of Madhya Pradesh, crimes against women are being defined and interpreted in a new and sensitive manner under the leadership of Additional Director General of Police Pragya Richa

Srivastava, head of 'Women's Safety'. Now, only those crimes are considered "women's crimes" that have happened to a woman because of her being a woman, or those categories of crimes that can happen to a woman only. Recently, taking a positive initiative, the Women's Crime Branch in Madhya Pradesh has also been renamed as the Women's Safety Branch. This reflects the idea of consciously stopping any crime against women even before it occurs.

Due to the lack of higher rank of investigators, there should be a re-classification of ranks in the investigation of crimes against women after giving detailed training to other officers, and on the other hand, there should be new and scientific formats in the medical examination of the victims, quick registration of crimes, allocation of compensation amounts, and a witness protection scheme, special court, etc. Madhya Pradesh is working on an innovative approach and mission mode in multi-pronged measures along with the AHTU, Child Welfare Unit, fast trials, etc. Now, URJA desks have been set up in every police station, and women's police stations in every district of the state.

Recently, pre-litigation mediation has been started for the settlement of family disputes. In Madhya Pradesh, Samman Abhiyan, Mission Suprabhat, Chetna Abhiyan, and Ehsaas Abhiyan are social awareness campaigns to develop women's understanding and ability to prevent crimes against themselves and to make them aware of all the campaigns and schemes like Hero and Swayamsiddha for self-defense that are being successfully implemented. These campaigns are continuously taking measures to prevent crimes against women, investigate them quickly, and encourage and protect informers in this regard.

Women's safety is a multidimensional and wide-ranging concern. Linking it only to the police and the judiciary is an inappropriate approach. For this, the criminal justice system, social system, political priorities, administrative morale, logical analysis of traditions, educational institutions, health facilities, etc. are collectively responsible.

Women are not only to be protected from crime, but they are also to be provided with economic, social, political, and cultural security as per the constitutional values. Protection of women from crimes is only a small aspect. After all, women's safety is the basic parameter of our development and prosperity today. This can be an important parameter in the quality-of-life index. No system or step of development can be called complete without ensuring the safety of women. Ultimately, national development and women's safety can be said to complement each other.

योजना का मूलमंत्र है पुलिस विभाग की आवश्यकताओं का आंकलन एवं पूर्ति

● **अनिल कुमार, भा.पु.से.**
अति. पुलिस महानिदेशक (योजना)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

देश के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का पांचवां बडा राज्य है। किसी भी राज्य के विकास में वहां के कानून व्यवस्था की स्थिती महती भूमिका निभाती है। सुदृढ कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर पुलिस प्रभावी एवं कर्तव्यनिष्ठ हो। जिसके लिए पहली आवश्यकता है कि वह साधन संसाधन से परिपूर्ण हो। इसमें पुलिस मुख्यालय के योजना शाखा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बजट प्राप्त करने से लेकर इकाईयों को वितरित करना एवं समीक्षा कर समय पर व्यय कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आवास व प्रशासकीय भवनों के निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी योजना शाखा निर्वहन करती है।

1. पुलिस विभाग में वर्तमान में स्वीकृत बल की संख्या 1,26,462 है। जिसमें भारतीय पुलिस सेवा-305, राज्य पुलिस सेवा-1271 एवं अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या-123911 तथा अन्य 975 पद है। मध्यप्रदेश पुलिस में कुल थानों की संख्या 1159 है एवं पुलिस चौकियों की संख्या 624 है।

2. पुलिस विभाग में थानों के संचालन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस हेतु पूर्व में थाना चौकी के लिये स्टेशनरी भत्ते रू. 600 से 2000 तक का प्रावधान था, उसको समाप्त कर अब शत प्रतिशत स्टेशनरी सामग्री की पूर्ति की जा रही है। राज्य शासन द्वारा पिछले 02 वर्षो में 10.76 करोड से वृद्धि कर 16.84 करोड किया गया है।

3. जिलों में अपराधों के अनुसंधान एवं विवेचना के सदृढीकरण हेतु पिछले 02 वर्षों से प्रतिवर्ष 4 करोड रू. का प्रावधान किया गया है जिससे अनुसंधान में उपयोग में आने वाल सामग्री का क्रय किया जा रहा है। साथ ही अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों को सुरक्षित रखने हेतु प्रदेश के प्रत्येक थानों को फ्रीज क्रय कर उपलब्ध कराया गया है।







4. पुलिस विभाग में पूर्व में विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण हेतु अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2022-23 में राशि रु. 74 करोड बजट प्रावधान किया जाकर 89 पुराने थानों का पूर्ण जीर्णोद्धार कराने के आदेश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त इकाई स्तर पर आवंटित बजट से शत-प्रतिशत पुलिस थाना/चौकियों का मरम्मत कराया गया है।







5. थानों के सुदृढीकरण के लिये किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष-2022 के दौरान वार्षिक थानों की रैंकिंग में देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में जिला बैतूल मध्यप्रदेश के थाना चोपना का चयन किया गया है।



6. थानों के सुदृढीकरण हेतु प्रत्येक थानों एवं चौकियों में सीसीटीव्ही लगाने हेतु शासन द्वारा राशि रूपये 94.18 करोड की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत सीसीटीव्ही लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। थानों की कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के लिये सीसीटीव्ही की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

7. सीसीटीएनएस योजना के द्वितीय चरण की 5 वर्ष के लिये राशि रूपये 102 करोड की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई है। उक्त राशि से प्रदेश के 1159 थानों एवं 624 चौकियों में नये कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों से लैस कर मेप आईटी के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

8. मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना अंतर्गत 25,000 आवास गृहों की स्वीकृति में से 11,500 आवास गृहों का निर्माण कार्य चल रहा है एवं 8,124 आवास गृह बनकर तैयार हो चुके है।

योजना शाखा सतत प्रयासरत है कि शासन द्वारा प्रदाय की गई बजट का समुचित उपयोग, जिसका शत-प्रतिशत लाभ पुलिस विभाग को आने वाले वर्षों में हो सके और पुलिस विभाग अपने अपेक्षाओं पर खरा उतरें।

एक प्रसन्न पुलिसकर्मी

● बी. मरिया कुमार (भा.पु.से.)
सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक

● डॉ. राजीव सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, पूर्व सलाहकार- साँची बौद्ध विश्वविद्यालय (म.प्र. शासन)

एक प्रसन्न पुलिसकर्मी समाज को खुशी व पुलिस पर विश्वास करने का अवसर देता है।

भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग की जीत को गहराई से लिया जाता है। विशेष रूप से वर्णित एकमात्र वैज्ञानिक प्रगति यह है कि वे जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में भविष्य के शोध के परिणामों के इंसानों के आवेदन को शामिल करते हैं। यह केवल जीवन के विज्ञान के माध्यम से है कि जीवन की गुणवत्ता को मौलिक रूप से बदल दिया जा सकता है। मामले के विज्ञान को इस तरह लागू किया जा सकता है कि वे जीवन को नष्ट कर दें या इसे जीने के लिए असंभव, जटिल और असुविधाजनक बना दें। लेकिन जब तक जीवविज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपकरणों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तब तक वह प्राकृतिक रूप और जीवन की अभिव्यक्तियों को संशोधित करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परिणाम परमाणु ऊर्जा की रिहाई मानव इतिहास में एक महान क्रांति का प्रतीक है, लेकिन (जब तक कि हम खुद को बिट्स में उड़ाते हैं और इस तरह इतिहास का अंत कर डालते है) अंतिम नहीं और खोज क्रांति यह वास्तव में क्रांतिकारी बाहरी दुनिया में बल नहीं बल्कि मानवों के आत्मा और शरीर से प्राण प्राप्त की जाती है।

- एलडस हक्सले 'BraveNew world' में

खुशी के उपयोग

कई शोध अध्ययनों ने स्थापित किया है कि ऐसे अनगिनत लाभ हैं जो खुशी से मिलते हैं। स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रतिरोध, बहुत हद तक रोग की कमी तथा लंबी आयु जैसे निजी फायदों के अलावा खुशी सकारात्मक दिमाग, सेवा उन्मुख, देखभाल, शांतिप्रिय, समाधान निर्देशित, मित्रतापूर्ण, उत्साहित आदि बनाती है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिसकर्मी खुद को पाता है तो माना जाता है कि वह समाज को रहने के लिए एक सुखी जगह बना देगा। परंतु समाज के और लोगों की तरह ही पुलिसकर्मी भी कभी खुश रहते हैं और कभी दुखी।

पश्चिम में आयोजित सर्वेक्षणों में से एक नौकरी की संतुष्टि के आधार पर कैरियर रेटिंग को ध्यान में रखा गया था। कुछ 200 अलग-अलग व्यवसायों से संबंधित विषयों को यह कहते हुए पूछा गया था कि वे अपने व्यवसाय में कितने खुश थे। या तो खुश थे, या बहुत खुश या दुखी नहीं थे। 01 से 25 अंकों के साथ विश्लेषण किया गया जिसमें 1 दुखी था तथा 25 सबसे खुशहाल रहा।

अध्ययन में पाया गया कि 200 से अधिक कैटेगरी में से पुलिस स्केल पर मध्य बिंदु की कोशिश सूचकांक के साथ कहीं नज़दीक के करीब आ गया है।

एक सैनिक के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तथा समाज की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी है। यदि हमारे सैनिक बीमार हैं तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। उसी तरह अगर हमारे पुलिसकर्मी बीमार हैं तो शारीरिक या मानसिक रूप से समाज में हमारी सुरक्षा दांव पर लगी है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि अगर पुलिसकर्मी खुद का ध्यान नहीं रखता, तो उसका ध्यान रखने के लिए संस्था और समाज है।

चूँकि गुस्सैल पुलिसकर्मी कहर बरसाता है तथा खुश पुलिसकर्मी समाज को खुशी देता है, इसलिए समाज को पुलिसकर्मी के बारे में चिंता करनी चाहिए। उसी तरह पुलिसकर्मियों को यह महसूस करना चाहिए कि जीवन में प्राप्त होने वाले वास्तविक लक्ष्य स्वयं एवं

समाज की खुशी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

इस तरह के विचारों की वजह से पैदा हुआ तथ्य यह है कि नौकरी हम पैसे के लिए करते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। भोजन जीवन है, तो जीवन क्या है? कुछ लोग जीवन जीते हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं। पुराने दिनों में चार्वाक के दर्शन के सिद्धांत ने लोगों को बहुत आकर्षित किया। एक्यूप्रेशर एवं प्राचीन पश्चिमी मध्य विद्यालयों ने भी इसी प्रकार विचार को दर्शाया है। मध्य काल के आधुनिक युग तक खुशी के सिद्धांत पर कुछ हद तक चुप्पी साध लिया गया है, कारण चाहे आंतरिक हो या बाह्य।

जब दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि से मानसिक शांति और भावनात्मक खुशी के संदर्भ में कोई आवश्यक बदलाव नहीं आया, तो खुशी के सिद्धांत का प्रयोग इन दिनों होने लगा है।

सकल राष्ट्रीय खुशी

वर्तमान में कुछ विचारक धन सृजन तथा कमाई को खुशी का कारक मान रहे हैं। वे GNP (Gross National Product) की बजाय GNH (Gross National Happiness) के संदर्भ में अपनी बात मनवाने की सीमा तक चले गए हैं।

वर्तमान परिस्थिति में आदमी खुद को जटिल स्थिति में पाता है। जिसमें बिना किसी अन्य नुकसान होने के बावजूद व असंतुलित संबंधों और असुविधायुक्त परिस्थितियों के मामलों की समस्याओं का सामना कर रहा है। परिस्थितिवश अप्रतिबंधित संबंध सबसे मुश्किल काम बन गया है। क्या यह बदलती हुई दुनिया के कारण है, या बदलते समय की ओर उसके अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण की वजह से है? या यह किसी की आपकी सोच के चलते है, जो निर्धारित किया गया है?

बिना किसी कारण एक दिशा के बारी का अन्य दिशाओं से सराहना किया जाता है। भारतीय दर्शन के सत्त-चित-आनंद से अच्छे विचार, अच्छी बातें और अच्छे कार्यों के जरिए आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया गया है। मसीहा के उपदेश ऊँचाइयों से भरे पड़े हैं कि कैसे मनुष्य, चाहे जो भी हो, खुश हो सकता है। कुरान के मुताबिक खुशी और विश्वास के माध्यम से ख़ुशी का एहसास होता है।

ऐसा क्यों है कि खुशियों पर चर्चा वर्तमान में अधिक की जा रही है? क्या इसकी वजह तनाव है, जो हम सबमें अधिक पैठ बना रहा है? क्या यह दुनिया के सिकुड़ने के कारण है? या यह पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण है? क्या यह मनुष्य की ओर से बिगड़ती मूल्य और नैतिकता की वजह से है? या क्या यह मनुष्य के अच्छे और बुरे के बीच न्याय करने में असमर्थता की वजह से है?

कई कारण हो सकते हैं लेकिन वास्तव में जैसा कि हम देखते हैं कि ख़ुशी उस चीज पर निर्भर नहीं करती है जो ज़्यादातर लोगों को आमतौर पर लगता है। अमीरों के बीच भी कुछ खुश हैं और कुछ नहीं। गरीबों के बीच भी कुछ खुश हैं और कुछ नहीं। शक्तिशाली के बीच भी कुछ खुश हैं और कुछ नहीं।

इस तरह यदि हम विश्लेषण करते हैं तो तर्कसंगत निष्कर्ष खुशी का निम्नलिखित है :

- पैसे
- शक्ति
- स्थिति
- नाम
- प्रसिद्धि

यहाँ एक बहुत सुंदर चित्रण है -

एक खलीफा अपने रेशम कुशन पर घातक बीमार पड़ता है। उसके देश के चिकित्सक, हकीम सभी ने उसे सलाह दी कि एक खुश आदमी के शर्ट से बने तकिए से वह ठीक हो सकता है।

दूतों ने हर शहर, हर गाँव में खुश व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि खुश था। अंत में सभी ने उम्मीद छोड़ दी तो एक

चरवाहा दिखा जो बहुत ही खुश होकर गाना गा रहा था। तब दूतों ने कहा कि- ''तुम खुश आदमी हो। हमें तुम्हारी शर्ट दे दो।'' तो चरवाहा ने कहा कि ''मेरे पास शर्ट नहीं है।'' यह बहुत दुख की बात थी कि एकमात्र खुश आदमी के पास शर्ट नहीं थी। जब यह बात उन लोगों ने खलीफा को बताई तो तीन दिन और तीन रात उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चौथे दिन उसने अपने सभी महँगे सामान लोगों में वितरित कर दिए। कुछ दिन बाद वह स्वस्थ और खुश रहने लगा।

ठीक इसी तरह दुख भी समान तरीके से इन्हीं चीजों पर आधारित नहीं है। बहुत गहरे अध्ययन के बाद हम पाते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं जिससे मनुष्य दुखी रहे। इसे कुछ समस्या एवं चुनौतियों के रूप में देखते हैं। इसलिए दिमाग की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस तरह से देखते हैं। एक अमीर आदमी कुछ परिस्थिति में अपने आप को असहज महसूस करता है, तो गरीब आदमी उस परिस्थिति में अपने आप को सहज महसूस करता है।

अज्ञानता एवं भाव की वजह से दिमाग में दुख रूपी समस्याएँ पैदा होती हैं। कुछ मानदंडों की पूर्ति के कारण खुशी हासिल की गई है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान से प्रेरित दृष्टिकोण है। शास्त्रों का कहना है, "तमसो मा ज्योतिर्गमय"। अंधेरे से प्रकाश तक आना ज्ञान है तथा अज्ञानता न्याय करने की योग्यता को अक्षम करती है। जब तक हम अज्ञानी होते हैं तो जो भी निर्णय लेते हैं, वह गलत ही होता है। ज्ञान केवल सही पथ दिखाता है। ज्ञान एक शक्ति है और उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है। गलत प्राथमिकताएँ महत्वहीन चीजों की लालसा हमें दुखी करती है। और यह दोषपूर्ण प्राथमिकता के कारण होता है।

खुश रहने के लिए स्वयं को स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। इन सारी चीजों को बराबर तथा संतुलित तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सिर्फ वित्तीय स्वास्थ्य की तरफ ही ध्यान देता है और किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता है तो वह किसी भी प्रकार से खुश नहीं रह सकता है। एलेक्सिस कैरेल के अनुसार खुश रहने की प्रमुख शर्त स्वास्थ्य ही होती है।

मौलिकता खुशी को बढ़ाती है। कृत्रिमता छद्म सुखों को लाती है। सादगी मौलिकता का उत्पाद है। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीजें हमेशा सबसे सरल हैं। सोचना, अभिव्यक्ति, व्यवहार, क्रिया और उद्देश्य में मौलिकता होने से दुखी मन को रोका जाएगा। विनम्रता से हमेशा खुशहाली आती है।

पुलिसकर्मियों को पहले बताये गए गुणों के अलावा करुणा दिखाने की कला को विकसित करना चाहिए। चरित्र में परमात्मा का वास होने से स्थितियों के साथ संघर्ष से बचने में मदद करता है। गुस्सा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे दूर करना चाहिए। शांति और प्यार से जीवन में खुशी आती है। यह असंभव है कि सब को हमेशा माफ कर दिया जाए, इसलिए इसके लिए भूलने की कला होनी चाहिए।

एक खुश आदमी कार्यों के निष्पादन में जल्दी नहीं करता है तथा वह प्रयासरत रहता है एवं उसके परिणाम के बारे में उत्सुक रहता है तथा चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में धैर्य का पालन करना चाहिए। समय चलता रहता है। इसलिए समय के साथ दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी सीमाओं को जानना चाहिए, खासकर समय को लेकर।

समय के प्रयास से अनुकूल होता है लेकिन जब जल्दबाजी घातक होती है।

कभी-कभी जल्दबाजी ठीक है, लेकिन हमेशा जल्दबाजी खुशी के लिए घातक होती है।

सकारात्मक सोच से खुशी का रास्ता हर तरह से सीधा हो जाएगा। खुश रहने के लिए आपको तीन तरह से विश्वस्त होने की कोशिश करनी चाहिए।

इन तीनों जाँच के बाद पुलिसकर्मी विशेष

परिस्थितियों में, चाहे वह पेशेवर या व्यक्तिगत और दुविधापूर्ण स्थिति में फैसले लेने में सफलता प्राप्त करेंगे।

विश्वास की जाँच

बहुत पहले एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा कि उसे विश्वास में कोई विश्वास नहीं था। विश्वास हमेशा सकारात्मकता के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि कुछ नहीं किया जाना चाहिए तो हमें उस अंधी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस श्रेणी में परम्पराएँ और रिवाज, आंकड़े, जो क्षेत्र और समय विशिष्ट हैं, उन स्थानों पर उन समय में वे प्रासंगिक और खुशी दे सकते हैं। यदि वे अभी भी खुशी दे सकते हैं, तो वर्तमान में भी हम इसे जारी रख सकते हैं। यदि वे असुविधा और बेचैनी का कारण बनते हैं, तो हम विश्वास की जाँच कर सकते हैं क्योंकि खुशी सर्वोच्च परंपरा नहीं, जब तक इस तरह की खुशी से दूसरों को असुविधा नहीं होती है।

वास्तविकता की जाँच

वास्तविकता की जाँच एक सही परिप्रेक्ष्य में स्थिति की सराहना करने में सक्षम बनाती है। किसी चीज या परिस्थितियों के गुण हर समय और सभी जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। सबकुछ बदल रहा है, हमें समय के साथ बदलना होगा। अन्यथा समय हमें बदल देगा, जो कि दर्दनाक होगा। जिसे एक महान व्यक्ति ने इसे इस तरह से उल्लेख किया है कि बीस साल पहले एक किशोर व्यक्ति को मोटरबाइक दिलाना कुछ हद तक सही था जबकि सड़कों पर ट्रैफिक नगण्य होता था, लेकिन वही अब किया गया कार्य किशोरों से प्यार जताने का तरीका नहीं बल्कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

बच्चों के बीच मधुमेह की बढ़ती हुई समस्या का कारण उन्हें जंक फूड खिलाना है। इसलिए परिभाषाएँ समय के साथ बदलती हैं।

आचार-विचार की जाँच

जब भी हम खुद को नैतिक दुविधा में पाते हैं, तो नैतिकता की जाँच आवश्यक हो जाती है। जब हम कार्रवाई के दौरान निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, तब उपलब्ध विभिन्न विकल्पों, कानूनी और नैतिकता के लिए विचार करने की आवश्यकता है। अतः नैतिकता की जाँच निम्न तरीके से करनी चाहिए :

क्या निर्णय लिए जाने योग्य है?

क्या यह बड़ा अच्छा काम करेगा?

क्या उसे और उसके परिवार को अच्छा लगेगा?

क्या यह ठीक है?

यहाँ कुछ स्थितियाँ हैं जिसमें नैतिक दुविधाएँ हैं :

स्थिति -1

आप एक जिले के SP के पद पर तैनात हैं। जिले में चीनी कारखाना चलाने वाला एक औद्योगिक कारखाना है। आपके आगमन के कुछ ही दिनों के अंदर इसका मालिक आपको कुछ उपहार प्रदान करता है। आप इसलिए इसे स्वीकार करते हैं कि आपको लगता है कि इस छोटी सी भेंट को स्वीकार नहीं करने से उसके मालिक की भावना आहत होगी। फिर दीवाली के मौके पर उद्योगपति आपके लिए ढेर सारी महँगी चीजें उपहार में भेजता है। और आपको पता चलता है कि आप से पहले वाला अधिकारी भी यह सब लेता था। इस स्थिति में आप क्या करोगे?

स्थिति -2

शहर में दंगा फैला हुआ है। कर्फ्यू लगाया जाता है, तथा साथ ही आपराधिक मामलों की रिपोर्ट की जाती है। आप जिला मजिस्ट्रेट के साथ शहर की गश्ती पर हैं। आपको सड़क पर फुल स्पीड में चार व्यक्तियों के साथ एक गाड़ी मिलती है। आप ड्राइवर को उसका पीछा करने के लिए कहते हैं और पकड़ लेते हैं। उनके पास वैध कर्फ्यू पास नहीं है। हालाँकि गाड़ी की तलाशी में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलता है। फिर भी आपको पता चलता है कि उनमें से एक स्थानीय विधायक का बेटा है। आपके सीनियर अधिकारी कहते हैं कि मामले को समझते हुए छोड़ दो। अब आप क्या करेंगे?

स्थिति- 3

आप एक शहर के पुलिस स्टेशन में एएसपी (ASP) हैं। आप एसडीपीओ (SDPO) से शाम में गश्त करने के लिए कहते हैं। आपको वह एक होटल एवं उसके मालिक के बारे में बताता है कि वह रात में अवांछनीय तत्वों को रखता है। आप अपने सहकर्मी के साथ होटल में प्रवेश करते हैं। वहाँ आपका स्वागत अच्छी तरह से किया जाता है, तथा आपका सहकर्मी विभिन्न तरह से खाने का ऑर्डर भी देता है और बताता है कि होटल का मालिक इसका पैसा नहीं लेता है। अब आप इसके बाद क्या करने जा रहे हैं?

स्थिति -4

आप हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपखंड और औद्योगिक बस्ती में एसडीपीओ (SDPO) के रूप में तैनात होते हैं। दौरे के दौरान आपको पता चलता है कि एक नाला में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का कचरा बह रहा है जो कि जाकर तालाब में मिल रहा है, जिसके बगल में झुग्गी- झोपड़ी स्थित है। वहाँ के लोगों से पूछताछ से पता चलता है कि फैक्ट्री के कार्य करने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और बहुत से लोग इससे मर रहे हैं। आप अपने S.H.O. से सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहते हैं। लेकिन वह बताता है कि फैक्ट्री के मालिक का संबंध गृह मंत्री के साथ है। कारखाने ने कल्याणकारी कार्यक्रम के जरिए लोगों को मुफ्त दवाइयां, स्थानीय लोगों को रोजगार, स्कूल आदि की स्थापना कर बहुत सेवा की है । S.H.O. आपको सुझाव देता है कि आप कोई कार्यवाही करने से पहले S.P. से बात कर सकते हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि कारखाने के मालिक ने स्थानीय लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप क्या करने वाले हैं?

ताल बेन शहर के सिद्धांत

कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ़ इंडिया अखबार में यह बताया गया कि ताल बेन -शहर नाम के एक इजरायली प्रोफेसर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खुशी के सिद्धांत सम्बन्धी व्याख्यानों से बहुत अधिक प्रभाव डाला है।

खुशी के लिए उनके नियम हैं :

मानवीय बनें

ऐसी गतिविधियों में शामिल रहें जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण और सुखद हैं।

एहसास करें कि यह मन की अवस्था है।

चीज़ों को सरल बनाएँ।

शरीर-मन संबंध याद रखें।

जब भी संभव हो कृतज्ञता व्यक्त करें।

खुशी का सूत्र

अवधारणा को सरल बनाने के लिए पूर्व में किए गए विश्लेषण के बारे में परिणामस्वरूप हम उन निष्कर्षों पर आधारित हो सकते हैं, जो:

खुशी (H) है।

सभी पहलुओं में स्वास्थ्य (h) के सीधे समानुपातिक

स्वयं और दूसरों के लिए असुविधा पैदा किए बिना आनंद के लिए इच्छा (w) के सीधे समानुपातिक

इच्छाओं (d) से विलोमानुपातिक

अनुलग्नों (लगाव) (a) से विलोमानुपातिक

$H \propto hw/da$

$H = C.hw/da$

C = खुशी (प्रसन्नता) की नियतांक

आपदा प्रबंधन में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की महती भूमिका

● **पवन जैन, भा.पु.से.**
डायरेक्टर जनरल,
होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन प्रदेश का एक बहुआयामी संगठन है, जिसकी स्थापना 06 दिसम्बर 1947 में मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट 1947 के तहत की गई थी, विभाग के स्थापना के उपरान्त इसमें निरंतर प्रगति परिलक्षित हो रही है। होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा संगठन का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। द्वितीय विश्व युद्व के दौरान हवाई हमलो, शहरो में बडी-बडी इमारतों में लगी आग, मकानों के गिरने जैसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्समय रहवासियों/ आमजनों से समिति गठित कर छोटी-छोटी टोलियॉ बनायी थी और संगठित होकर आपातकाल का सफलता से सामना किया था, यही वह क्षण है जब होमगार्ड स्वयंसेवी संगठन का उदय हुआ । सर विन्सटन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा द्वितीय विश्व युद्व के दौरान स्वयंसेवी संगठन के कार्यो की सराहना की गई थी।

संगठन अपने आदर्श वाक्य ''निष्काम सेवा'' के प्रति संकल्पित है, बल द्वारा विभिन्न ड्युटियों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन की गतिविधियों को दक्षता के साथ सम्पादित करना इनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है ।

वर्ष 2014 में प्रदेश में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एसडीईआरएफ) का गठन किया गया है, जिसमें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निर्धारित आयु के दक्ष एवं

वर्ष 2022 मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण रेस्क्यू

FLOOD RESCUE / जिला हरदा / दिनांक 05-07-2022

जिला हरदा दिनांक 05/07/2022 को थाना टिमरनी के अंतर्गत अजनाल नदी, बेडीघाट में लगातार बारिस के कारण निचली बस्तियों मै जल भराव होने की स्थिति में SDERF एवं DRC द्वारा 100 लोगों को राहत केन्द्रों पर पहुँचाया गया एवं 50 लोगों को अन्य स्थानों से सुरक्षित निकाला गया, टीम द्वारा भोजन के पैकेट का वितरण भी किया गया|









योग्य होमगार्ड स्वयं सेवकों को एवं बल में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पैरामिलिट्री बलों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्ष अधिकारियों / कर्मचारियों को लिया गया है ।

आपदा प्रबंधन के नित्य नये आयामों ने होमगार्ड और एसडीईआरएफ की जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाया है। बाढ़ राहत हो या भूकम्प, रेल दुर्घटना हो या औद्योगिक हादसा, बोरवेल में बच्चों के फसने की घटना हो या खदानों के धसने की अथवा किसी भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना में एसडीईआरएफ की भूमिका फर्स्ट रिस्पांडर की है । यहां तक अधिकांश जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक किसी भी हादसे या दुर्घटना में सबसे पहले एसडीईआरएफ की मांग करते हैं।

एसडीईआरएफअन्तर्गत आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों से बल को सु-सज्जित किया गया है, जिसके अन्तर्गत इन्फ्लेटेबल रबर वोट विथ ओ.बी.एम., एच.डी.पी. बोट, डीप डायविंग सेट विथ कम्युनिकेशन, अत्याधुनिक ड्रोन एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों के साथ-साथ प्रत्येक जिले में त्वरित आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से कस्टमाइज युटिलिटी व्हीकल प्रदाय किये गये है, जिससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बल की दक्षता में अत्यधिक वृद्वि हुई है एवं बल द्वारा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाए एवं मानव निर्मित आपदाओं जैसे- बाढ़, भूकम्प, आग, औद्योगिक एवं रसायनिक दुर्घटनायें इत्यादि में अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से त्वरित बचाव कार्य किया जा रहा है ।

राज्य में विभिन्न आपदाओं में त्वरित रूप से बचाव कार्य हेतु राज्य स्तरीय ''स्टेट कमाण्ड सेन्टर'' का निर्माण किया गया है । स्टेट कमाण्ड सेन्टर को संचार की अत्याधुनिक टेक्नालॉजी से सु-सज्जित किया गया है, जो 24x7 प्रतिदिन 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट में लगातार कार्यरत रहता है एवं विभिन्न घटनाओं / आपदाओं की सूचना को संकलित कर त्वरित रूप से बचाव कार्य हेतु बल के गमना-गमन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मॉनिटरिंग एवं विभिन्न विभागों से समन्वय का कार्य करता है। स्टेट कमाण्ड सेन्टर के अन्तर्गत काल सेन्टर के साथ-साथ दो अत्याधुनिक सुविधाओं से सु-सज्जित वीडियों कॉन्फ्रेंस हाल भी बनाये गये है । प्रदेश के विभिन्न जिलो में आपदाओं के दौरान तत्काल कार्यवाही करने हेतु ई.ओ.सी., क्यू.आर.टी. एवं डी.आर. सी के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों एवं जवानों की तैनाती की गई है। आम जनता टोलफ्री नम्बर 1079 एवं 1070 के द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा में त्वरित कार्यवाही हेतु स्टेट कमाण्डसेन्टर को सूचना भेज सकती है ।

आपदा चेतावनी एवं प्रतिक्रियां प्रणाली के द्वारा संभावित घटनाओं/आपदाओं की समय पर सार्थक चेतावनी प्रसारित कर आपदा के दौरान होने वाली जान-माल की हानि को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही इसके माध्यम से आपदा के दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण को भी सुनिश्चित किया जाता है ।

राज्य में एसडीईआरएफ के अन्तर्गत पूर्व में 550 के बल की स्वीकृति प्रदाय की गई थी, जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2022 में 950 के अतिरिक्त बल की स्वीकृति प्रदाय कर बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड जवानों के बाध्य काल ऑफ में विसंगति को समाप्त कर सभी सैनिकों का तीन वर्ष में 02 माह का बाध्य काल ऑफ किये जाने की अनुमति वर्ष 2022 में प्रदाय की गई है।

वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र के सभी जिलों में भीषण बाढ की स्थिती निर्मित हो गई थी जिसमें होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की टीम द्वारा लगातार बचाव कार्य कर अनेक लोगो को सुरक्षित बचाया गया, साथ ही चंबल नदी के अत्यधिक उफान पर आने के कारण अनेक गांव में बाढ़ के पानी के कारण डूब की स्थिति निर्मित हुई जिसमें बल के द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए, बाढ में फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वर्ष के दौरान मानसून काल में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की टीम के द्वारा लगभग 9342 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।

इसी प्रकार दिनांक 15.07.2021 को लाल पठार थाना गंजबासौदा जिला विदिशा में कुए में बालक के गिरने के पश्चात कुआ धंसने से फसे 09 लोगों को रेस्क्यु टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिला कटनी थाना स्लीमना बाद अन्तर्गत दिनांक 12.02.2022 को नर्मदा घाटी परियोजना की टनल धंसने के कारण उसमें फसे 07 व्यक्तियों को बल की टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षित बाहर निकाला गया।

वर्ष 2022 मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण

FLOOD RESCUE / जिला सिहोर / दिनांक 24-09-2022

जिला सीहोर दिनांक 24-09-2022 नसरुल्लागंज में एक व्यक्ति 20 फीट दलदल में धंस गया एसडीआरएफ टीम भोपाल द्वारा 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सकुशल निकाला गया |







होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ बल द्वारा बोरवेल रेस्क्यु में भी दिनांक 16-17 दिसम्बर 2021 को जिला छतरपुर के ग्राम दोनी में बोरवेल में फसी बालिका दिव्यांशी को सुरक्षित बहार निकाला गया, इसी प्रकार छतरपुर जिला अन्तर्गत ही थाना ओरछा रोड ग्राम नारायणपुरा में दिनांक 29.06.2022 को बोरवेल में फंसे 05 वर्षीय बालक दीपेन्द्र यादव को लगातार बचाव कार्य कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

वर्ष 2022 में भी मानसून काल के दौरान सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, गुना, बालाघाट, हरदा, मुरैना, इत्यादि जिलो में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति निर्मित हुई जिसमें होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की टीमों द्वारा लगातार बचाव कार्य कर बाढ़ में फसे अनेक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस प्रकार वर्ष 2022 के मानसून काल में प्रदेश मे कुल 16798 लोगों को विभिन्न रेस्क्यु ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित बचाया गया।

इसके अतिरिक्त भी होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के बल द्वारा अनेक कठिन रेस्क्यु कार्य किये गये, जैसे दिनांक 24.09.2022 जिला सीहोर, नसरुल्लागंज में 20फीट दलदल में फंसे मोबाइल टावर कम्पनी के कर्मचारी को 02 घण्टे की कड़ी मेहनत के बाद उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उचित आपदा प्रबंधन विकसित होते हुए समाज का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आपदा प्रबंधन की दक्षता एवं कुशलता ही इस संगठन की पहचान बनती जा रही है और यही कुशलता भविष्य में इस संगठन को नई ऊंचाई प्रदान करेगी।

एक कवि के शब्दों में :-

''जब जीवनदायी मेघ फटे, अम्बर से मौत बरसती हो ।
नदियाँ सुरसा का रूप धरे, धरती किसान को ग्रसती हो।
पर्वत से गिरे शिला भारी, शहरो को डसे महामारी।
मानवता की रक्षा हित हम, हम स्वार्थ समपर्ण कर लेगें ।
आपदा अगर कोई आई, मिल-जुल के निवारण कर लेगें।''

चोर वही जो पकड़ा जाये

● **डॉ. देव प्रकाश खन्ना**
सेवानिवृत्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

दुल्हन वहीं जो पिया मन भाये, 'साड़ी वहीं जो दुल्हन मन भाये, रानी वहीं जो राजा मन भाये, की तर्ज पर चोर वहीं जो पकड़ा जाये की उक्ति आपने खूब सुनी होगी पर चोर वहीं जो पकड़ा जाये की बात बहुत निराली है। सौ सौ चूहा खाय के बिल्ली हज को 'चली' तो जाती है पर पकड़े गये चोर की तर्ज पर बड़ी किरकिरी कराती है। इस उक्ति की जब हमने कुछ मित्रों से चर्चा की तो इस बात पर एकमत उजागर हुआ" कि चोर तो हम सभी हैं पर जब पकड़े जाते हैं तभी चोर कहलाते हैं। यानि चोर के चोर कहलाने के लिये उसका पकड़ा जाना अत्यावश्यक है। वरना कितने असंख्य चोर खुले आम समाज में घूमते फिरते है। पर पकड़े न जाने के कारण हम उन्हें चोर नहीं कहते और वे सज्जन बने शान से घूमते रहते हैं। एक हजरत जो बाद में एक साधारण चोर भी निकले, बड़े बेझिझक महीनों सालों तक शान से रेल्वे ट्रेन में बिना टिकिट लिये यात्रा करते रहते थे। न पकड़े जाने के कारण वह स्वयं तो चोर नहीं बने थे पर जो दूसरे लोग टिकट खरीद कर यात्रा करते उन्हें वह ज़ाहिल या बेवकूफ समझा करते थे। एक दिन एक सिरफिरे टी.टी.ई. महोदय ने उन्हें बिना टिकट धर दबोचा। पकड़े जाने पर वह लगे संसार के अधिकांश लोगों को चोर बताने लगे। इतना ही नहीं अनेक लोगों को बिना टिकिट यात्रा करने देने में सहायक बनने के लिए उन्होंने टी.टी. आई. महोदय, को भी चोर कहकर कोस डाला। बस जब तक पकड़े नहीं गये तो वह सज्जन थे, और जब पकड़े गये तो चोर बन गये और चोर वहीं जो पकड़ा जाये को सार्थक कर गये।

हमारे देश में चोर भी तरह तरह के होते हैं, कोई धन-दौलत का चोर, कोई. खान-पान का चोर, कोई काम चोर तो कोई दिल का चोर। हर क्षेत्र में हर काम में आपको चोर मिल जायेंगे। बस फर्क इतना है कि अनेक चोर पकड़े न जाने के कारण शरीफ बने घूमते रहते हैं। हर व्यापार, हर सेवा, हर कर्मक्षेत्र, शासकीय या गैरशासकीय में आपको कामचोर तो मिल ही जायेगें। बिना काम किये या काम की चोरी करते हुये, पूरी तन्खवाह हर माह शान से लेते शासकीय सेवकों का एक बड़ा वर्ग आज सफलता के ऊँचे आयाम चढ़ता रहता है। और उनका नारा यह रहता है 'काम करोंगे तो फंसोगें' या फिर 'गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वोतिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल 'चले।' इतना ही नहीं ये दूसरों की चोरी पकड़ने में अपनी सारी काबिलियत लगाये रहते है। अपनी चोरी के गुण को छिपाकर दूसरों की चोरी उजागर करने में इनका सारा ध्यान लगा रहता है। अपने को पाक दामन बताने के लिये दूसरों के काले धंधों, चोरियों को उजागर करते रहना इनका प्रमुख शगल रहता है। पकड़ने से बचने के लोगों ने सैकड़ों तरीके ढूंढ रखे हैं। मेरे मित्र के पड़ोसी एक मौलवी जी ने एक दिन चर्चा में बताया- 'हमारे कुरान में तो साफ लिखा है कि अगर आपके पास गलती से किसी दूसरे की चीज आ जाये तो आपका फर्ज है कि आप यह घोषणा तीन बार करके पूछें कि "यह (अमुक) चीज किसकी है" अगर कोई उसे अपना नहीं कहता तो फिर वह चीज़ आपके लिये हलाल है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। तब आप चोर नहीं कहे जायेगें। उनके अनुसार कुछ शातिर लोग आजकल अमुक चीज (नाम) तो बहुत धीरे से मन में बोलकर किसकी हैं। जोर से तीन बार कहकर इस ढंग से यह ड्रामा पूरा कर डालते है कि कोई उसे अपनी नहीं कहता और वह उसका मालिक बने रहते हैं।

ऐसे साधारण चोरों की श्रृंखला में एक और सज्जन मिले। लगभग 48-50 वर्ष की आयु के ये सज्जन 60 वर्ष से ऊपर आयु के सीनियरसिटीजन का रियायती टिकट खरीदकर शान से सफर करते थे एक दिन जब उनके मुंहफट मित्र ने पूछ लिया तो बोले- यह कोई चोरी नहीं है, मैं रेल्वे को किराया देता हूँ बस हां थोड़ा सा कम पर कितने सारे लोग तो बिना किराया दिये सफर करते हैं। सो देखा आपने कैसे छोटे-छोटे चोर है जो अपने को चोर कहलाने से बचने का उपक्रम करते कैसे कैसे बहाने ढूंढते रहते है।

ये छोटी-छोटी चोरी करने वाले और पकड़े जाने वाले चोर तो पकड़े जाने पर आगे चोरी करने से तौबा करने या प्रायश्चित करने को भी तैयार हो जाते है। पर आज विकासशील भारत के समाज में प्रायः उन चोरों का ज्यादा बोलबाला है जो इतने शातिर है कि चोरी तो खूब करते है पर पकड़े नहीं जाते। पकड़े जाने से बचने के लिये 'साम, दाम, दण्ड, भेद' का सहारा लेकर चोर कहलाने से अपने आपको चतुराई से बचाकर ऊँची-ऊँची कुर्सियों, ओहदे प्राप्त कर सज्जनता की चादरें ओढ़े रहते है। देश के अनेक ख्यातिनाम नेता इसी श्रेणी के अनपकड़े, अघोषित, अचोर है जो अपनी उन्नत चौर्यकला के बल पर न केवल समाज को लूटकर स्वयं ऐश करते हैं। बल्कि अपनी चोरियों से पीड़ित जनता को अपनी जूती की धूल समझने में लगे रहते है। ऐसे कई अचोरो को मैं जानता हूँ और शायद आप भी कुछ को अवश्य जानते होंगे। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी दूसरों के विचार, कविताएँ, गजलें, चुराकर उन्हें अपनी बताकर स्वयं को ऊँचे साहित्यकार सिद्ध करने वाले चोर खूब मिल जायेगें। बिन पकड़े गये पर चोरी करने वाले अचोरों की कारगुजारी से आज चोरी की समाज को लूटकर स्वयं ऐश करते है बल्कि अपनी चोरियों से पीड़ित जनता को अपनी जूती की धूल समझने में लगे रहते है। ऐसे कई अचोरो को मैं जानता हूँ और शायद आप भी कुछ को अवश्य जानते होंगे। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी दूसरों के विचार, कविताएँ, गजलें, चुराकर उन्हें अपनी बताकर स्वयं को ऊँचे साहित्यकार सिद्ध करने वाले चोर खूब मिल जायेगें।

बिन पकड़े गये पर चोरी करने वाले अचोरों की कारगुजारी से आज चोरी की कानूनी परिभाषा में भी काफी अंतर आता लग रहा है। "चोर चोरी करे और सीना जोरी करें," "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे," चोर चोर मौसेरे (चचेरे नहीं) भाई जैसी कहावतें व मुहावरे इन अनपकड़ेचौरों की बढ़ती ताकत का ही अहसास कराती हैं। चोरी की वर्तमान कानूनी परिभाषा के अनुसार किसी दूसरे की चीज को उसकी रज़ामंदी के बिना बनियती से ले लेना अब चोरी के लिये पर्याप्त नहीं रह गया। अगर चोर पकड़ा भी गया तब भी काफी नहीं है कि उसे चोर ही कहाँ जावें। जब तक आप अदालत में मुकदमा चलाकर, जज साहब के सारे संदेहों को दूर करके तथा फैसले पर उठी सारी अपीलों को शांत करके उसे जज द्वारा चोर घोषित न करवा दें तब तक आप चोर नहीं कह सकते। हमारे देश का प्रजातांत्रिक कानून किस मुस्तैदी से चोर की चोर बनने से रक्षा करता है कि भले ही 99 चोर बरी होकर शरीफ बने रहें पर एक शरीफ को गलती से भी चोर नहीं कहा जाना चाहिये। शरीफो के बजाय चोरों की सुरक्षा में 99 गुनी ताकत लगा हमारा "कानूनी कवच" पकड़े गये चोर की कितनी सुरक्षा करता है यह आज हमारा समाज फटी आंखों से देख रहा है। इसी से चोरो का वंश "अचोर" बनकर फलफूल रहा है। आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी व निगमों के पदाधिकारी इस नई उभरती परिभाषा का लाभ उठाते हुए, चोरी के संगीन मुकदमों में संलिप्त होने के बावजूद अपने पदों पर आसीन बने रहने में सफलता प्राप्त करचुके है और सज्जन के वेश में समाज में चमक रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व तक तो किसी भ्रष्ट चोर अधिकारी के विरूद्ध अदालत में मुकदमा चलाने के लिये राज्य शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होती थी, पर ईमानदारी का दम मारने वाले अनेक राज्य शासन अनुमति देने से कतराते रहते थे। जब उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिये सरकार की अनुमति लेने की अनिवार्यता आसीन बने रहने में सफलता प्राप्त करचुके है और सज्जन के वेश में समाज में चमक रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व तक तो किसी भ्रष्ट चोर अधिकारी के विरूद्ध अदालत में मुकदमा चलाने के लिये राज्य शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होती थी, पर ईमानदारी का दम मारने वाले अनेक राज्य शासन अनुमति देने से कतराते रहते थे। जब उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिये सरकार की अनुमति लेने की अनिवार्यता को अनावश्यक घोषित कर दिया तो सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित न करते हुये उनकी सेवाओं को सतत जारी रखने का निर्णय तक घोषित कर दिया। चोर भ्रष्ट अधिकारियों की सहायता में लगी आज की राज्य सरकारें धन्य है।

मनुष्य के स्वभाव में चोरी करने वाला अंश आदम हौआ के जमाने से चला आ आ रहा है। यह एक अत्यंत प्राचीन मानवीय शौक (हॉबी) है। ऐसा लगता है कि हर इंसान कभी न कभी चोरी करने के सुख का स्वाद अवश्य

चखता है। पर केवल कुछ दुर्भाग्यशाली इसमें पकड़े जाकर चोर कहला पाते है। जगपारखी विद्वान कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के चौथे अभिकरण (कंटक शोधन) के 81वें अभिकरण (शंकारूपकर्माशिष्ट) में चोर को पकड़ने की अनेक विधियां बताई है। जैसे आज कई बार पुलिस की मारपीट से बचने के लिये संदेही "मैंने ही चौरी की है" कहकर आत्मसर्मपण कर देता है या वह वास्तविक चोर नहीं होता ऐसे ही चाणक्य ने भी सन्देही के आत्मसमर्पण को निराधार बताते हुये "प्राप्तदोषकर्मकारयेत" के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो उसी को दण्ड दिया दिया जाना चाहिये।

धन के चोरों की तरह मन या दिल के चोरों की कभी नहीं। ये चोर पकड़ में कम ही आते हैं। इसलिये अक्सर एक से अधिक चोरियां करने में सफल हो जाते हैं। दिल के चोरों के किस्सों ने संसार भर का अभूतपूर्व मनोरंजन किया हैं। दिल चुरा के भाग जाने वाले और पकड़ में न आने वाले हर कहीं मिल जायेंगे।

चोर और चोरी की सार्वभौमिकता ने संसार में प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। चोरों की आपसी प्रतिद्वद्विता ने विकास की अनेक संभावनाएं खोली हैं।

जहां चोरी स्वयं एक कला है वैसे ही चोरी करके पकड़ा न जाना भी एक बड़ी विस्तृत कला हो चुकी है। प्यारे माखनचोर ने अपनी चोरी के पकड़े न जाने के लिये कितने पापड़ बेले थे। आज अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी आधुनिक साहसी शातिर चोर ओसामा बिन लादेन को इतने सालों के प्रयासों के बावजूद कहां पकड़ पाया था ? आज के शातिर चोर लोग उन साधारण चोरों को जो चोरी करके पकड़े जाते हैं, कितना जाहिल है या घटिया समझते हैं। उनके मतानुसार असली होशियार सफल इंसान वहीं होता हैं जो कैसी भी चोरी कर ले पर पकड़ा न जावे। ऐसे होशियार सफल लोग चोर होते हुये भी सज्जन बने धड़ल्ले से घूमते रहते है। चोरी करने और न पकड़े जाने की कला भी आज इतनी विस्तृत और विकसित हो गई है कि इस पर एक बड़ा महाकाव्य या महापुराण आसानी से लिखा जा सकता है।

ठीक ही कहा भी है-

यारों देखो यों तो चोर सारा जमाना
पकड़ा गया तो चोर, बाकी सब...



पुलिस श्वानों को होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं उनसे बचाव के उपाय

● डॉ. उमेश कुमार चौरसिया

पुलिस अनुसंधान में समय - समय पर पुलिस श्वानो के द्वारा ट्रेकिंग, स्निफिंग के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया जाता है किन्तु डॉग हेण्डलर्स द्वारा डॉग्स की ठीक तरह से देख-भाल एवं बचाव के उपायो की जानकारी के अभाव में डॉग्स में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। जिसके कारण पुलिस अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होती है । अतः प्रत्येक डॉग हेण्डलर्स को डॉग में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारी और उन

बीमारियो से बचाव के उपायो की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ।

पुलिस श्वानो को पपी हुड से ओल्ड ऐज तक अनेक बीमारियों का खतरा रहता हैं। कुछ बीमारियां इस प्रकार है:-

1. रेबीज:- यह एक जानलेवा वायरस हैं, जो इन्फेक्टेड एनीमल की लार (स्लाईवा) से फेलता हैं । यह सामान्यतः श्वान के काटने से फेलता हैं। श्वानों में रेबीज के लक्षणो में बुखार, निगलने मे कठिनाई, अत्याधिक लार, डगमगाना, रोशनी, ध्वनि और गति से उत्तेजित होता है ।

रेबिज एक ला- इलाज वायरस है, जो श्वान एवं इंसान के मस्तिष्क व स्पाइनल कार्ड पर अटैक करता है ।

रेबीज का डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट से नहीं हो पाता, इसके लिये मस्तिष्क के टिशु की बायोप्सी करनी पड़ती है। अतः एनीमल की मृत्यु के उपरांत ही यह डायग्नोसिस हो पाती है। रेबीज से बचाव हेतु निम्न उपाय किये जाते है ।

- श्वानो को रेबीज के टीके लगाना, श्वान जब 12 हफ्ते की उम्र का होता है, तब श्वान को रेबीज का पहला टीका लगता है एवं इसके एक माह बाद बूस्टर डोज दिया जाता है, इसके बाद प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है ।
- पालतू श्वानों को अनवेक्सीनेटेड श्वानों (अन्य जानवरों) के सम्पर्क में न आने देना। यदि श्वान को अन्य श्वान या एनिमल ने बाईट किया है तो निम्नानुसार उपचार कराया जाता है:-
- श्वान के बाईट साईट या घाव को बहते पानी (नल इत्यादि) से अच्छी तरह साबुन लगाकर कई बार धोते हैं ।
- सेनेटाईजर से अच्छी तरह से डिस्इन्फेक्ट करना चाहिये ।
- अगर संभव हो तो उस जानवर को सावधानी पूर्वक पकड़कर अपनी निगरानी में रखना चाहिये। क्योंकि यदि श्वान रेबीज से ग्रसित है, तो उसके लक्षण प्रकट होंगे एवं कुछ दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जायेगी ।
- प्रतिदिन ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार अन्य औषधियां देना चाहिये एवं पोस्ट वाईट वैक्सीनेशन सेड्यूल के अनुसार वैक्सीन लगवाना चाहिये।

पोस्ट बाईट सेड्यूल निम्नानुसार है:-

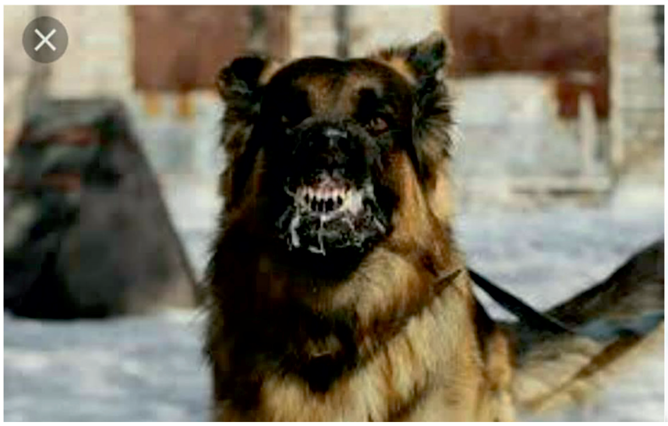
प्रथम डोज - उसी दिन जिस दिन श्वान ने बाईट किया (जीरो डे)

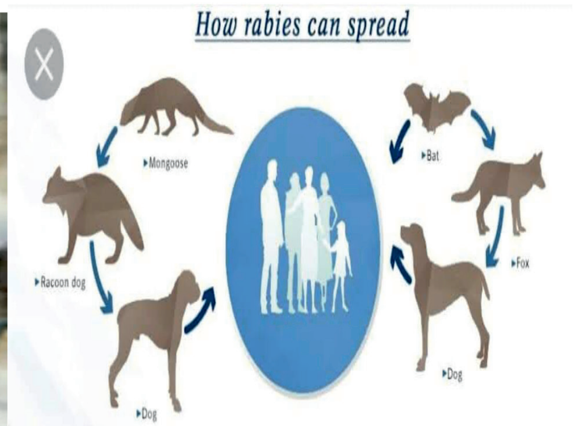
- द्वितीय डोज- तीसरे दिन
- तृतीय डोज - 7वें दिन
- चतुर्थ डोज - 14वें दिन
- पंचम डोज - 28वें दिन
- षष्टम डोज- 90वें दिन (श्वान के काटने के बाद)

यदि यह निश्चित है कि जिस श्वान ने बाईट किया है, उसे रेबीज का संक्रमण था, तो उसी दिन से उक्त









उपचार के साथ-साथ हाईपर एम्युन (इम्यूनो ग्लोविस) का भी उपयोग किया जाता है, जो बाईट की साईट एवं इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन द्वारा दी जाती है।

2. पार्वो वायरसः- यह एक प्रकार की अत्याधिक संक्रमण बीमारी है, जो संक्रमित श्वानों के मल से डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट संपर्क से फेलती है। यह अत्याधिक घातक बीमारी है ।

इसमें श्वानों को खूनी दस्त, उल्टी, बुखार, पेट दर्द आदि लक्षण आते हैं एवं उपचार के आभाव एवं उपचाररत श्वानों की मृत्यु हो जाती है।

इसके बचाव का एक मात्र उपाय श्वानों को इस बीमारी के टीके एवं संक्रमित श्वानों से अलग रखना है। इस बीमारी के टीके श्वान को 4, 6, 9, 12 एवं 16 हफ्ते की उम्र में लगते हैं एवं प्रतिवर्ष रिपीट किया जाता है ।

3. केनाइन डिस्टेम्पर वायरसः यह भी एक बायरस बीमारी है । जो गैस्ट्रो इन्टेसटाईनल, श्वसन एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह संक्रमित श्वान के संपर्क (चाटना, सांस लेना) या अप्रत्यक्ष संपर्क - जैसे संक्रमित श्वान के उपयोग की गई वस्तुओं के द्वारा। इसमें श्वान की आंखे लाल, खांसना, दस्त, बुखार, नाक व आँख से स्त्राव आना, एनोरेक्सिया आदि ।

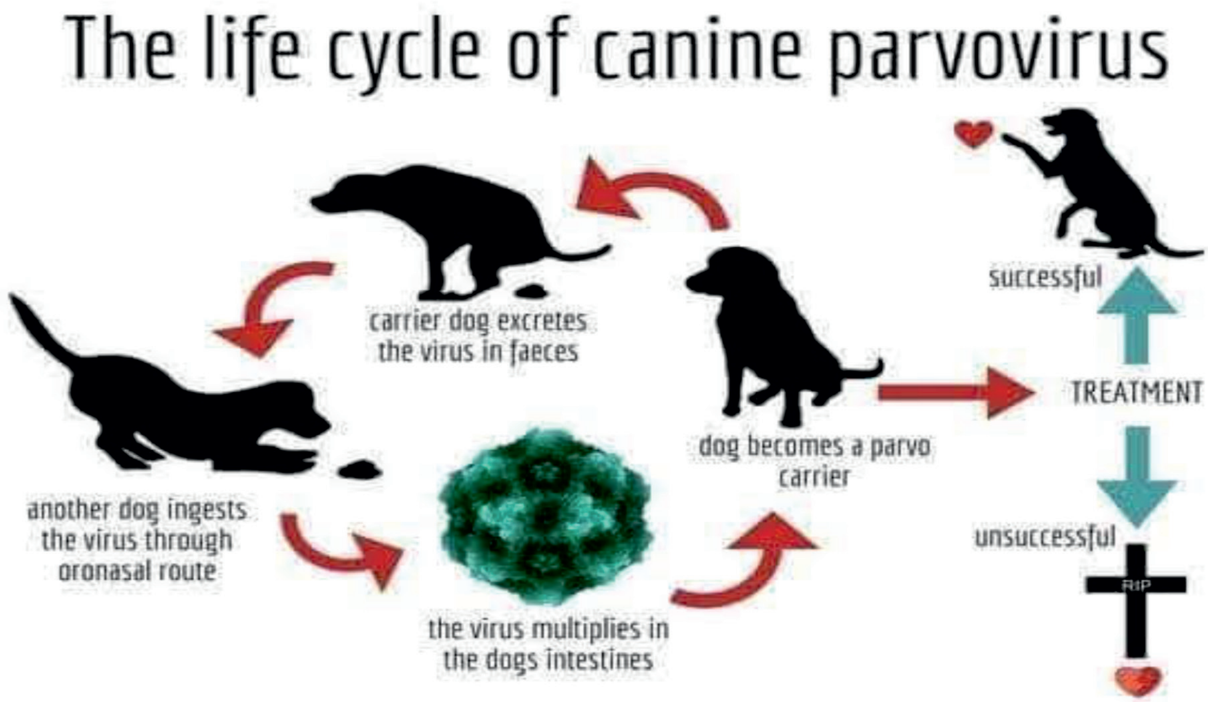
केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बचाव हेतु श्वान को 4, 6, 9, 12, 16 हफ्ते की उम्र में टीके लगाये जाते हैं एवं प्रतिवर्ष रीवेक्सीनेशन कराया जाता है।

4. लेप्टोस्पाइरोसिसः यह बीमारी इन्फेक्टेड श्वान के मूत्र, कन्टीमिटेडेट फूड एवं पानी के संपर्क मे आने से फैलती है। इसमें श्वान को उल्टी, बुखार, दस्त, दर्द आदि लक्षण होते हैं ।

इस बीमारी से बचाव हेतु श्वान को 6, 9, 12, 16 हफ्ते की उम्र में टीके

5. एडीनो वायरस इन्फेक्शनः यह भी एक अत्यंत घातक वायरल बीमारी है, इस बीमारी में श्वान के लीवर एवं किडनी में समस्या आती है । श्वान को एनोरेक्सिया, वोमेटिंग, स्किन में पेचेस, लिम्फनोड में सूजन, पेट में दर्द, आंख में सूजन हो जाती है ।

इस बीमारी से बचाव हेतु श्वान को 6, 9, 12, 16

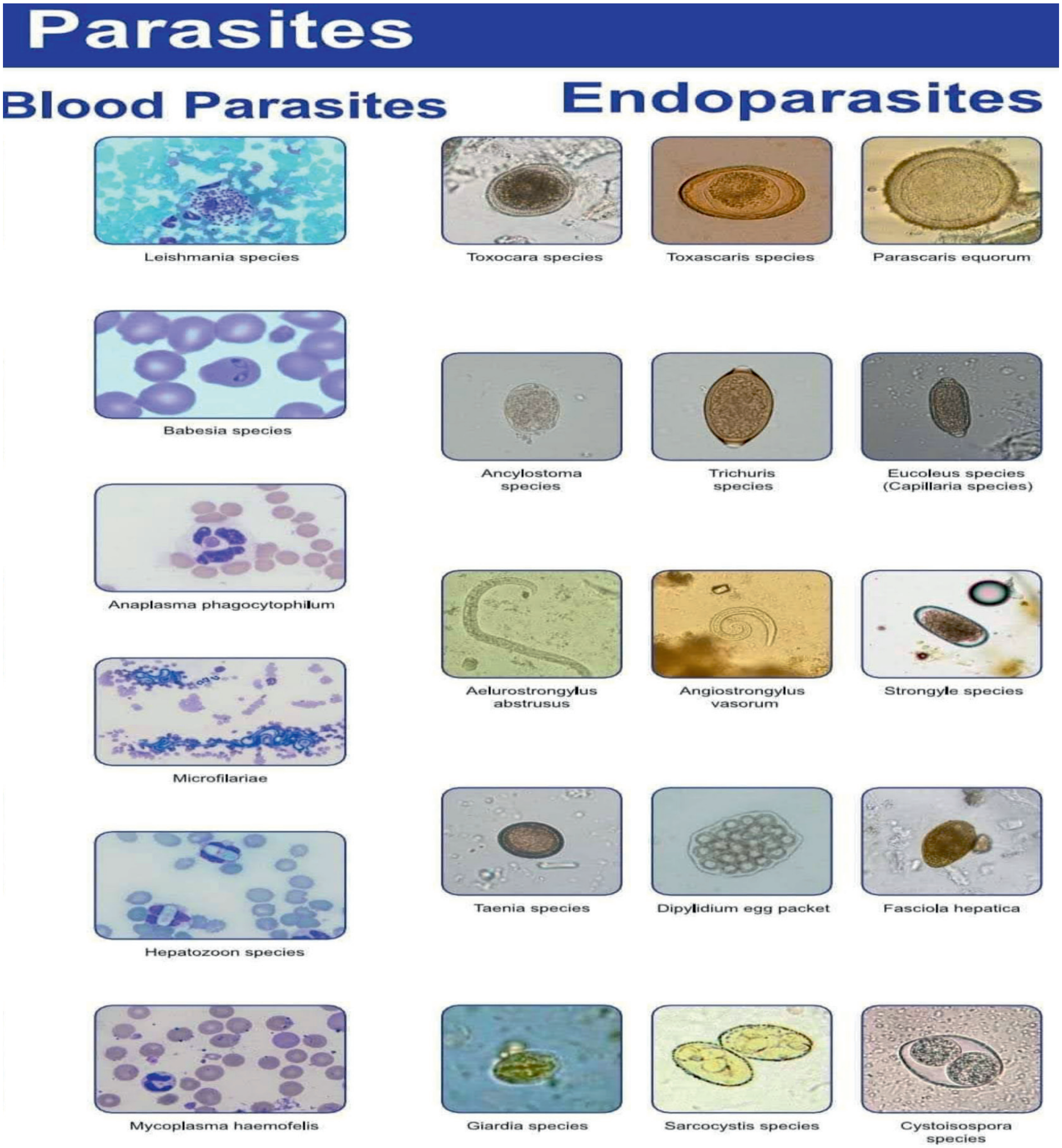




हफ्ते की उम्र में टीके

06. केनल कफः यह श्वानों के अपर रेस्पोरेट्री ट्रेक में इन्फेक्शन से होती है। इसमें श्वानों को खांसी (गूज होन्क), आंखों में कीचड़, नाक बहना, भूख न लगना एवं डिस्प्रेस बिहेवियर का होना पाया जाता है ।

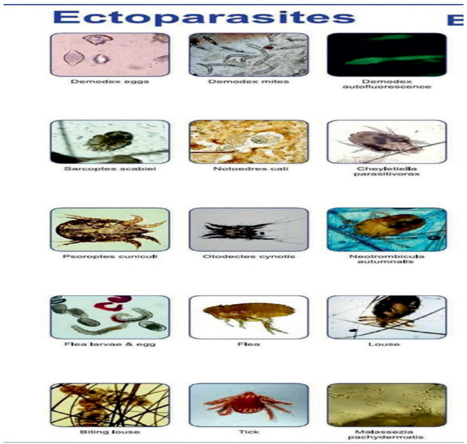
इस बीमारी से बचाव हेतु श्वानों को 12 एवं 16

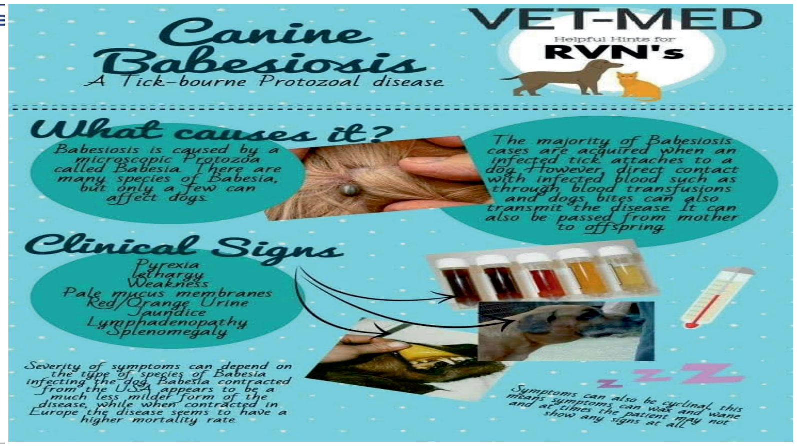


हफ्ते की उम्र में टीके लगाये जाते हैं एवं प्रतिवर्ष रिपीट कराया जाता है ।

7. एण्डोपेरासाईट इन्फेक्शन: आंतरिक परजीवी पालतू जानवरों के आंतरिक अंगो के अंदर रहते हैं, खाते है एवं प्रजनन करते हैं। ये पू एवं अन्य जीवों (पिस्सू, स्लग, घोंघे, चूहों आदि) को निगलने से होते हैं । ये स्वास्थ्य समस्याओं को और घातक बना देते हैं। इसमें उल्टी होना, दस्त होना, कब्ज होना, बाल झड़ना, श्वान का काम में मन न लगना, कमजोर होना, वजन कम होना इत्यादि लक्षण पाये जाते हैं ।

इनमें राउण्ड वर्म, हूक वर्म, और काक्सीडिया आदि होते हैं । इनसे बचाव हेतु निम्नानुसार डिवार्मिंग सेड्यूल अपनाना चाहिये । औषधि प्रत्येक श्वान के शारीरिक वजन के अनुसार देते हैं । प्रत्यक 15 दिन में तीन माह





की उम्र तक, फिर प्रत्येक 30 दिन में 06 माह की उम्र तक, फिर प्रत्येक 02 माह में एक वर्ष की उम्र तक, फिर प्रत्येक तीन माह में उम्र भर श्वान के शरीर के बजन अनुसार देते हैं।

8. एक्टोपेरासाईट: श्वानों में बाह्य परजीवी इनवायरमेंट से सीधे फिजिकल संपर्क में आने से फेलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें दो केटेगरी प्रमुख है।

- **मेक्रोस्कोपिक:** जो खुली आंखो से दिखते है, जैसे टिक्स, पिस्सु, जूं इत्यादि ।
- **माइक्रोस्कोपिक:** जो खुली आंखों से नहीं दिखते है, जैसे मेंज, माईट, फंगस इत्यादि।

श्वानों को एक्टोपेरासाईट से अत्याधिक नुकसान होता है, इनकी वजह से श्वानों को वेक्टर बोर्न डिसीस (वी. बी.डी.) तो होती ही है, श्वान अल्प रक्तता, स्किन एलर्जी, खुजली, स्ट्रेस आदि समस्याओं से जूझता है एवं लम्बे समय बाद अन्य गंभीर बीमारियां पनप जाती हैं।

एक्टोपेरासाईट से बचाने हेतु श्वान का निम्नानुसार ध्यान रखना चाहिये:-

- श्वान की प्रतिदिन 30 मिनट तक ग्रुमिंग हो ।
- श्वान के केनल की साफ-सफाई बहुत आवश्यक है ।
- एन्टीटिकबाथ कोलर स्पोट ऑन एवं अन्य औषधियां समय - समय पर करना चाहिये ।

कॉमन वेक्टर बोर्न डिसीज:-

बवेसियोसिस:- यह अत्याधिक घातक है। इसमे श्वान अल्परक्त्ता, बुखार, रिफ्यूज टू ईट, कमजोरी आदि लक्षणों से जूझता है एवं बिना उपचार या उपचार के बावजूद भी श्वान की मृत्यु हो जाती है ।

- इर्लिचियोसिसः - इसमें श्वान को फीवर, एनोरेक्सिया, लिथार्जिक, लेमनेस, नोज
- ब्लीडिंग, कार्नियल, ओपेसिटि आदि ।
- शुरूआती दौर में उपचार न मिलने से श्वान को बचाना मुशकिल है।
- केनाईन लेशमानियोसिस एवं ट्रिप्नोसोमा मे श्वाना को फीवर, एनोरेक्सिया, वीकनेस, सीवियर, वेटलॉस, पानी ज्यादा पीना एवं ज्यादा पेशाब करना एवं नाक से खून आना आदि ।
- एमाप्लाज्मोसिसः - इसमें भी बुखार इत्यादि आता है।

09. मेन्ज : यह एक प्रकार की पेरासाईटिक स्किन डिसीज है, जो माईक्रोस्कोपिक माईट से होती है। यह दो प्रकार की होती है:-

- सार्कोप्टिक मेन्जः – यह स्किन में होता है ।
- डेमोडेक्टिक मेन्ज :- यह हेयर फॉलिकल में होता है।

उपरोक्तानुसार स्किन स्केपिंग टेस्ट कराके उपचार किया जात है ।

10. रिंग वर्म इन्फेक्शन: यह श्वानों की स्किन में फंगल इन्फेक्शन से होता है । जो अन्य श्वानों व परिचारकों से भी फैल सकता है। स्किन स्केपिंग एवं टाईप ऑप फंगस अनुसार उपचार किया जाता है।

तीन निठल्लों की कूड़ाकथा

● मलय जैन

अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) भोपाल

तीनों साथ बैठे थे । रोज़ की तरह पन्नियों और कूड़े के टीले पर । निठल्ले । इनकी औरतें घर घर बरतन कपड़ा करतीं । कमाई इनके काम आती । हर शाम नियम से मयकशी करते तीनों सरकार को कोसते । पुलिस को गालियां देते ।

पहले ने कहा , " यार , भूख के मारे मरे जा रहे हैं । "

दूसरा बोला , " कबसे गला गीला नहीं हुआ , वो अलग ।'

तीसरा बोला , " साला , एक ही दिन की छूट देते , दो चार के बटुए उड़ा लाता ।"

एकाएक हूटर की आवाज़ गूंजी और तीनों ये गये कि वो गये । पहला अपनी छपरी में घुसा और दीदे निकाल नाले के पल्ले पार झांकने लगा । ' फिर आ गए साले खदेड़ने ' , वह झुंझलाया , फिर चौंका । गाड़ी तो आकर खड़ी हो गई है ! सिपाही चोंगे पर बता रहा है , खाना लाये हैं मोहल्ले भर के लिए ।

' पुलिस के हाथ से रोटियां ! सुना तो यही था कि पुलिस बस लाठियां देती है , रोटियां नहीं । ' हैरानी से मुंह बायें वह भीतर दौड़ा । झट औरत को जगाया फिर भूखे सोते बच्चों को । जाओ रे ज़ल्दी , खाना बंट रहा है । सब दौड़े । मोहल्ला दौड़ पड़ा । वह भी । उसके साथी भी , जो कई बार पकड़े गए हैं । कोई जेबकटी में , कोई सिर फुटाई करने में । वे सब दौड़े जो रातदिन पुलिस को गरियाते हैं , पत्थर फेंकते हैं । यों गालियां वह भी रोज़ देता है मगर आप नहीं जानता , क्यों ।

भूख का ताप ऐसा कि कब नम्बर आये ! विकट बेचैनी । खाना सामने हो तो और विकल । चिल्लपों के बीच सोच में डूबा वह लाइन में बढ़ रहा था ,' मैं क्यों गालियां देता हूं ! मुझे तो कभी पकड़ा भी नहीं । ' फिर आप बुदबुदाया , ' दूसरे देते हैं सो वह देता है । ग़लत क्या ?" लाइन में बाजू वाले को देख याद आया , उसे भी थाने बुलाया गया था पूछताछ को , जब इस कसाई ने औरत को पीट पीट अधमरा कर दिया था । यों उसने ख़ूब देखा था अपनी आंखों से सब । मगर थाने जाकर साफ़ मुकर गया । मोहल्ले के और लोगों की तरह । ' क्यों मुकर गया मैं ? मेरी गवाही पे तो सात साल टँग जाता वह' । एक पल वह सोच में पड़ा । ख़ुद को कोसने को हुआ कि उसका नम्बर आ गया ।

वरदी में मुंह पर मास्क बांधे वे खुले दिल से बांट रहे थे । देखकर लगता था , कई रात से सोये न हों मगर यह भी लगता , हर एक को भोजन देने के बाद उनके चेहरे और खिल जाते हों । संतोष सा भर जाता हो थकी, रतजगी आंखों में ।

हेड साहब ने डब्बा उसकी ओर बढ़ाया । अपराधबोध से एकबारगी उसके हाथ काँपे । निगाह मास्क के भीतर से यकायक बाहर आती मुस्कान और सन्तोष भरे चेहरे पर पड़ी ।

' लो भाई , ज़ल्दी लो , अभी बहुत लोग बकाया हैं ' आवाज़ पर छन्न से उंसकी तन्द्रा टूटी । डब्बा लपक वह टीले पर आ बैठा । निसफ़िकर हो दोनों साथी भी । डब्बों को ज़ल्द खोल देने की हड़बड़ में ।

पहला धीरे से बोला , " यार , हम भूखे मर रहे थे। आज ये न आते तो क्या होता ! "

दूसरा बोला , " हुँह ! बोतल लाते तो और बात थी।

"तीसरे ने बेकल हो डब्बे से रोटियां हेड़ीं और कहा , " मूरख हो तुम लोग । टोह लेने आये हैं स्साले कि कौन कौन घरों में छिपा है । "

भूख से दहकती अंतड़ियों के बीच रोज़ की तरह कोसते ही तीनों दिलों में ठंडक पड़ी और फिर अपार संतोष के साथ वे रोटियां तोड़ने में जुट गये ।

प्रशिक्षण में नवाचार

● **श्रीमती निमिषा पाण्डेय**
पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी



पुलिस विभाग में मूलभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। एक व्यक्ति पुलिस सेवा में आकर अनुशासित बल के नियम कायदे, कानूनी प्रक्रिया, समाज की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस के कर्तव्य, अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना का विधिवत प्रशिक्षण पाकर पुलिसकर्मी बनता है, जिसे पुलिस व्यवस्था के संचालन का दायित्व सौंपा जाता है।समाज के बदलते परिदृश्य एवं अपराधों के स्वरूप में नित नए आयामों के कारण पुलिस का कार्य चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, साथ ही कार्य की जटिलता के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना, व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन करते हुए पूर्ण मनोबल के साथ कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। यही तभी संभव है जब पुलिसकर्मियों को सेवा के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षित कर उनके ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि की जाए। पुलिसकर्मियों में व्यवहार कुशलता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं समय प्रबंधन जैसे विषयों के साथ-साथ तकनीकी कौशल विकसित करने की आवश्यकता भी लगातार महसूस की जाती रही है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण विधियों से परिचित करा कर उनकी प्रशिक्षण क्षमता एवं दक्षता का भरपूर उपयोग किया गया। टीओटी प्रशिक्षित 125 प्रशिक्षकों द्वारा अपनी इकाईयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया।तत्पश्चात् पुलिस विभाग में ''वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स'' की उपयोगिता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा सेवारत पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की वृहत श्रंखला आयोजित की, जिसके अंतर्गत पुलिस के कार्यों से संबंधित विविध विषयों का समावेश किया गया और प्रत्येक स्तर पर पुलिसकर्मियों के व्यावसायिक ज्ञान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के प्रयास किए गए।

प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घकालीन बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ वर्तमानकालिक विषयों जैसेसायबर अपराध, मानव दुर्व्यापार, सूचना का अधिकार, Soft skills and Emotional Intellingence, Medico-legal, Social legislation, Social Defence issues for police functionaries, Capacity Building program, Juvenile Justice, Fulwari-Madhyapradesh women police officers conference, CIIS-Cyber Investigation & Intelligence Summit, Railway police skill building इत्यादि प्रशिक्षण आयोजित किये गये। पुलिस मुख्यालय, प्रशिक्षण शाखा की वार्षिक प्रशिक्षण मुल्यांकन रिपोर्ट 2020 एवं 2021 के अनुसार ऐसे 300 से अधिक विषयों की प्रशिक्षण श्रृंखलायें आयोजित कर मध्यप्रदेश की विभिन्न इकाईयों के प्रधानआरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 44000से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।इस दौरान पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का एक उन्नत स्वरूप सामनें आया एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थानोंने ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' की तरह बेहतरीन प्रदर्शन किया।

प्रशिक्षण शाखा के प्रयासों से LMS-Learning Management System तैयार किया गया है।स्डैवेबसाइट पर प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षित



तकनीकी पुलिसकर्मियों की टीमों के द्वारापुलिस के विषयों से संबंधित कोर्सतैयार कर अपलोड किये गये हैं। नामांकित पुलिसकर्मी पंजीकृत कोर्स को निर्धारित समयावधि में अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी किसी भी समय स्वयं के कम्प्यूटर, लेपटॉप अथवा मोबाईल पर लॉगिन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जिसका सुपरविज़न व प्रगति का आंकलन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भी किया जा सकते हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की समाप्ति पर पुलिसकर्मियों को स्वत: ही कोर्स का प्रमाण-पत्र मेल के माध्यम से प्राप्त होता है।

प्रशिक्षण शाखा के मार्गदर्शन में प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान की अपनी अधिकारिक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसके प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रशिक्षण संस्थानों को ही दी गई है, वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी, सर्कुलर व स्टडी मटेरियल प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अपलोड किये जाते हैं।





प्रशिक्षण शाखा द्वारा सभी प्रशिक्षण इकाईयों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करवा कर इकाईयों में कार्यरत् पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य स्थल पर मौजूद रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, जिससे सभी पुलिसकर्मी सामान्य रूप से लाभांवित हो सके। प्रशिक्षण संस्थानों स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसके प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम हुये हैं। भविष्य में प्रशिक्षण गतिविधियों में जिला इकाईयों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिये जिला स्तर पर भी स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है।

पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा के उत्कृष्ठ प्रबंधन व नियोजन, प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण संस्थानों एवं स्टेकहोल्डर्स के सामुहिक दृढ़ निश्चय, ईमानदार प्रयासों से पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सका है।

POLICE – MEDIA RELATIONS
पुलिस-मीडिया संबंध

● बी. मरिया कुमार (भा.पु.से.)
सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक

● डॉ. राजीव सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, पूर्व सलाहकार- सांची बौद्ध विश्वविधालय (म.प्र. शासन)

Police and Media
(पुलिस और मीडिया)

At times, the relations between the police and the media become sore. This happens due to many reasons such as mutual prejudices, lack of interface, vested interests, retaliatory approaches, leg pulls, back-biting, misunderstandings, communication gaps, unverified information etc. Since media reporting on police working forms the crux of public opinion, it costs police image dearly if any of the aforesaid reasons rules the situation. Public opinion influences the support and co-operation that the police receive from the people. Even if such untoward event happens, it is up to police to take initiative to mollify the media. Otherwise, wrong reporting gets aggravated into rumour mongering that plays havoc with public order situations. The best way to placate the unsupportive media is to win over their hearts.

कभी-कभी पुलिस और मीडिया के बीच संबंध गले की फाँस की तरह हो जाते हैं. यह कई कारणों से होता है, जैसे पारस्परिक पूर्वाग्रहों, इंटरफेस की कमी, स्वार्थी प्रतिरोधक दृष्टिकोण, पैर खींचना, पीठ पीछे बुराई करना, गलतफहमी, संचार-अंतराल, असत्यापित जानकारी इत्यादि. चूंकि पुलिस कामकाज की रिपोर्टिंग मीडिया करता है और इसके आधार पर ही जनता की राय कायम होती है, इसलिए उपरोक्त कारणों से पुलिस की छवि गलत भी पाई जाती है. जनता की राय के मुताबिक ही पुलिस को लोगों का समर्थन मिलता है. कुछ अप्रिय घटना घटने के पहले और मीडिया के प्रचार-प्रसार करने से पहले पुलिस को मीडिया से संपर्क कर लेना चाहिए. अन्यथा गलत रिपोर्टिंग अफवाहों की समस्या को और भयावह बना देती है. असमर्थवादी मीडिया को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका उनके दिलों को जीतना है.

Common Goals of Police & Media
(पुलिस और मीडिया के साझा/उभयनिष्ठ लक्ष्य)

- Healthy relationship serving the common public

  (आम जनता की सेवा में स्वस्थ रिश्ते)
- Both are partners with law in safeguarding liberty and order

  (दोनों स्वतंत्रता और व्यवस्था की सुरक्षा में कानून के साथ भागीदार है)
- Both instil in the public a higher sense of citizenship

  दोनों ही जनता में एक उच्च नागरिकता की भावना स्थापित करते हैं)
- Both infuse confidence in the public

  (दोनों जनता के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं)

How the Media is Helpful to Police?

(मीडिया कैसे पुलिस के लिए उपयोगी है?)

- Positive public opinion
  (सकारात्मक जनमत)
- Boosts up police image
  (पुलिस की छवि को बढ़ाता है)
- Contradict rumours
  (अफवाहों का विरोध करना)
- Cautions people against criminals
  (अपराधियों के खिलाफ लोगों को चेतावनी देते हैं)
- Identification of the missing/ absconders
  (लापता/फरारियों की पहचान)
- Warn people against cheats/ thieves
  (लोगों को धोखा देने वाले/चोरों के बारे में सतर्क करते हैं)
- Helps during natural calamities
  (प्राकृतिक आपदाओ के दौरान मदद करता है)
- Helps people understand police better
  (लोगों को पुलिस को बेहतर समझने में मदद करता है)
- Promotes public trust in Police
  (पुलिस में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है)
- Acts as check on police efficiency & inertness
  (पुलिस दक्षता और निष्क्रियता पर जाँच के रूप में कार्य)
- As source of information
  (जानकारी के स्त्रोत के रूप में)

Main Complaints of the Media against Police

(पुलिस के खिलाफ मीडिया की मुख्य शिकायतें)

- Non-availability of official for information
  (सूचना के लिए अधिकारी की उपलब्धता नहीं)
- Non-release of information about police work
  (पुलिस के काम के बारे में जानकारी जारी नहीं करना)
- Incomplete information
  (अधूरी जानकारी)
- Late information
  (देर से जानकारी)
- Non-disclosure of information
  (सूचना का खुलासा नहीं करना)
- They shift responsibilities to each other
  (वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं)
- Rude behaviour with reporters
  (पत्रकारों के साथ कठोर व्यवहार)

Functions of PRO
(पीआरओ/ जनसंपर्क अधिकारी के कार्य)

- Build contact with all editors/ reporters for better understanding between police & media
  (पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समझ के लिए सभी संपादकों/पत्रकारों के साथ संपर्क)
- Prompt contradiction of false and exaggerated media reports
  (झूठी और अतिरंजित मीडिया रिपोर्टों का तत्काल विरोध)
- Highlight good work done by police
  (पुलिस द्वारा संपन्न अच्छे कामों को प्रकाश में लाएँ)
- Educate people about new methods adopted by criminals
  (अपराधियों द्वारा अपनाई गई नई विधियों के बारे में लोगों को शिक्षित करना)
- Explain new laws to media-personnel/ public

(मीडियाकर्मियों/जनता को नए कानूनों के बारे में समझाएँ)

- Arrange press conferences
(प्रेस सम्मेलन की व्यवस्था करें)
- News releases/ media-press releases
(समाचार विज्ञप्ति/ मीडिया विज्ञप्ति)

Police Principles towards Genuine Cooperation with Media

(मीडिया के साथ वास्तविक सहयोग हेतु पुलिस सिद्धांत)

- Stick to truth
(सच्चाई पर मुहर)
- Don't mislead
(गुमराह न करें)
- Don't think that they can win over by any means
(इस बात की भ्रांति न फैलाएँ कि किसी भी तरह से जीत सकते हैं)
- Beware of black sheep among journalists
(पत्रकारों के बीच सही-गलत की पहचान करें)
- Don't show favouritism
(पक्षपात न करें)

Withholding Information

(जानकारियों पर रोक)

- Confidential information as stipulated under various laws
(विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित गोपनीय जानकारी)
- Information which may assist offenders
(ऐसी जानकारी पर रोक जो अपराधियों की सहायता कर सकती है)
- Private concerns of the individuals
(व्यक्तियों की निजी बातें एवं चिंताएं)
- Details of crimes which serve as dangerous examples
(अपराधों का विवरण जो खतरनाक उदाहरण के रूप में कार्य करता है)
- Matters affecting security of the state/ defence secrets
(राज्य/रक्षा रहस्यों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामले)
- Names of victims of sex crimes
(यौन अपराधों के शिकार लोगों के नाम)
- Any fact, the publication of which would interfere with justice
(कोई भी तथ्य जिनके प्रकाशन में न्याय के साथ हस्तक्षेप होता है)
- Any information that could not be given under RTI Act
(कोई सूचना जो आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती)

Common Code of Ethics for Police & Media

(पुलिस और मीडिया के लिए साझा/उभयनिष्ठ आचार-संहिता)

- Justice
(न्याय)
- Fair treatment
(निष्पक्ष व्यवहार)
- Integrity
(सत्यनिष्ठा)
- Understanding
समझ
- Public good
(जनहित)

पुलिस प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों की भूमिका

● **रश्मि पाण्डेय**
पुलिस अधीक्षक
पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौंरी, भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस में विगत कुछ वर्षों से मेरी पदस्थापना प्रशिक्षण संस्थानों में रही है। सबसे पहले पुलिस प्रशिक्षण शाला, उज्जैन में पुलिस अधीक्षक के रूप में और उसके बाद मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौरी भोपाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण) के रूप में।

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा किए जा रहे नवाचारों के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा रहा है। उक्त नवाचार यह प्रदर्शित करते हैं वरिष्ठ स्तर पर प्रशिक्षकों के चयन व उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (TOT) के कार्यक्रम आयोजित करना, देश और विदेश के अच्छे प्रशिक्षकों से रूबरू कराना, वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजकर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेज से अवगत कराना आदि कार्य प्रशिक्षण शाखा द्वारा सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस ने कोविड काल के दौरान भी प्रशिक्षण को सुचारू रूप से जारी रखा। इसे एक अवसर मानते हुए ऑनलाइन मोड में देश के प्रमुख संस्थानों जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यूनिसेफ आदि के ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों से प्रशिक्षणार्थियों से रूबरू कराया गया। इससे प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी दोनों के दृष्टिकोण में व्यापकता आई। यही कारण है कि मध्यप्रदेश पुलिस ने कई मामलों के नवाचारों में देश में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है।

किसी भी अन्य संस्थान की तरह ही पुलिस विभाग में भी प्रशिक्षण का योगदान मानव संसाधन





के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पुलिस जैसे संवेदनशील संगठन में तो प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है। मैंने यह पाया है कि अगर हमें जनता के समक्ष पुलिस की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करनी है तो प्रशिक्षण संस्थानों में अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रशिक्षण देना एक कला है, इसलिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने पाया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे लोग पदस्थ हो गए, जिनका जिले की इकाइयों में या फील्ड पोस्टिंग में तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तुतीकरण उतना प्रभावी नहीं रहा। इसकी प्रमुख वजह यह भी है कि उन्होंने प्रशिक्षण संस्थान की पदस्थापना को शायद कभी गंभीरता से लिया ही नहीं और ना ही प्रशिक्षण के महत्व को इतनी गइराई से समझा।

मैंने नजदीक से अनुभव किया है कि जब कोई नव आरक्षक या प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक अपनी नौकरी ज्वाइन करने के बाद बुनियादी प्रशिक्षण के लिए प्रथम बार प्रशिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, सीखने की ललक और एक रोमांच रहता है। यह उत्साह और ललक कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। यही वह समय है जब हम प्रशिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षक का प्रशिक्षणार्थियों से लगाव बहुत आवश्यक है। मैंने प्रयोग करने पर यह पाया है कि यदि प्रशिक्षकों को उनके कार्य के महत्व के बारे में बताया जाए तो वह पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण कार्य करते हैं। यही नहीं, प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनके द्वारा बताई गई बातों को वो अपने स्वयं के व्यवहार में भी लाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बातों का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के आचरण से मेल हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसी दुविधा के कारण प्रशिक्षणार्थी कभी-कभी अपने प्रशिक्षक द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से न लेते हुए केवल खाना पूर्ति के रूप में उन तथ्यों को ग्रहण करते हैं। इसी वजह से प्रशिक्षण में सीखी हुई बातें प्रशिक्षुओं के व्यवहार में परिलक्षित नहीं हो पाती हैं। अतः किसी भी अनिच्छुक या नैतिक रूप से निर्बल प्रशिक्षक को कभी भी प्रशिक्षण संस्थान



में प्रशिक्षण कार्य हेतु नहीं भेजना चाहिए। प्रशिक्षण के विषय और सिलेबस काफी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के बाद डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए उनकी विषय वस्तु और मंशा को समझना एक प्रशिक्षक के लिए अतिआवश्यक है। उस विषय वस्तु को समझने और उसके प्रस्तुतीकरण के लिए TOT (Training of trainers) या प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है।

मैंने एक प्रशिक्षक के रूप में यह पाया है कि बदले हुए परिवेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कानूनों में किए गए बदलावों की मंशा के अनुरूप यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का उसके कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी तरह यह भी देखा जाता है कि क्या कारण है कि कई बार कानूनों में बदलाव के बाद भी माननीय न्यायालयों के समक्ष पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान या उनके आचार व्यवहार कानून सम्मत नहीं पाए जाते? प्रशिक्षक के रूप में मैंने पाया कि हम कई बार केवल कानून के शब्दों को समझाते हैं। उसकी मंशा न खुद समझ पाते हैं और ना ही प्रशिक्षणार्थियों को समझाने में सफल हो पाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए नए-नए तरीकों तथा संसाधनों से अवगत होना अति आवश्यक है। आज के युग में प्रशिक्षणार्थी के पास किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के बहुत से संसाधन हैं, लेकिन उसे किस दिशा में सोचकर किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है तथा उसे किस प्रकार उपयोग करना है, यह निर्धारित करने में प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

भविष्य में मानव दुर्व्यापार, नशे के सेवन, सायबर क्राइम तथा सभी संगठित अपराधों में इंटरनेट, सायबर

वर्ल्ड के उपयोग और दुरुपयोग की भूमिका के विषय में पुलिस बल को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस खाई को दूर करने के लिए नियमित, विधिवत तथा लगातार प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। मेरा यह अनुभव रहा है कि प्रशिक्षण कार्य को यदि पार्ट टाइम कार्य न समझकर सिर्फ कोर वर्क समझा जाए और अच्छे समर्पित अधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ें तो पुलिस विभाग में कार्य करने वाले प्रत्येक रैंक के अधिकारी समाज में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में पूर्णतः सशक्त होंगे।

प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों से ज्यादा हमें प्रशिक्षकों पर ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षकों की गुणवत्ता पर, उनके प्रस्तुतीकरण पर और उनके कमिटमेंट पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हम अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएं या जो प्रशिक्षक हमें मिले हैं, उनका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। सर्वप्रथम, बेहतर हो कि इस कार्य को करने के लिए लोगों की सहमति ली जाए और सहमति के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग हो, जिससे उनका ओरियंटेशन और उनकी रुचि पता चले। तत्पश्चात्, प्रशिक्षण संस्थान में जिनकी भी पोस्टिंग हो, चाहे उन्हें उस संस्थान में कोई भी दायिव दिया जाए उनका ओंरिएंटेशन आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थी केवल उस व्यक्ति से नहीं सीख रहा है जो कक्षा में आकर उसे पढ़ा रहा है बल्कि उस पूरे वातावरण से सीख रहा है जो वो देख रहा है, सुन रहा है महसूस कर रहा है। इसलिए प्रशिक्षकों के लिए तथा प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ हर व्यक्ति के लिए कुछ Do’s & Don’t’s निर्धारित किए जाएं। उनकी नियमित पदस्थापना के समय उस संस्थान में उनका ओरियंटेशन जरूर कराया जाए और अगर इन सब चीजों के बाद भी उसकी रुचि या व्यवहार में परिवर्तन न हो तो उसे उस संस्थान में न रखा जाए। एक अनमोटिवेटेड और डिसइंटरेस्टेड व्यक्ति पूरी संस्थान की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इच्छुक और प्रतिभाशाली, व्यक्ति को प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापना के लिए आकर्षित करने हेतु कुछ इंसेन्टिव भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

यह आवश्यक है कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में ऐसे लोग ही पदस्थ किए जाएं जिनके आदर्श उच्च हों





तथा नैतिक मूल्य मजबूत हों, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थाओं में आदर्श ही पढ़ाया जाता है। कई बार बहस होती है कि जो संस्थान में पढ़ाया जाता है। वो फील्ड में उतना उपयोगी नहीं होता, लेकिन संस्थाओं में प्रशिक्षण तो कानून और संविधान के मंशा अनुरूप ही दिया जाएगा। यहां कानून एवं प्रक्रियाओं के ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्य तथा मानव व्यवहार, सदाचार, संवेदनशीलता, संवाद कौशल, दया, करुणा, नेतृत्व जैसी चीजें भी सिखायी जाती हैं। दुर्भाग्य से पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थ कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यह माना जाता है कि पुलिस को केवल सख्त रवैया ही रखना चाहिए। उनका मानना है कि सॉफ्ट स्किल, समानुभूति और संवेदनशीलता को सीखना और प्रदर्शन करना एक पुलिस अधिकारी के लिए उचित नहीं है। यह सोच लोकतांत्रिक परिवेश में लगातार जागरूक होती जनता के साथ व्यवहार करने हेतु एक सर्विस ओरिएंटेड पुलिस के निर्माण में बाधक है।

अंततः एक प्रशिक्षक के रूप में मेरा यह मानना है कि पुलिस प्रशिक्षण एक अत्यंत गंभीर विषय है। दुनिया व देश के अन्य राज्यों में पुलिसिंग के आधुनिकतम तौर तरीकों, तकनीकी व अपराधों से निपटने के नवीनतम तरीकों की जानकारी रखना व उसे प्रशिक्षुओं को सिखाना अत्यंत आवश्यक है। व्यवसायिक ज्ञान में दक्ष, नैतिक रूप से दृढ़, संवेदनशील तथा संविधान की मंशा के अनुरूप कार्य करने वाले अनुभवी तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इच्छुक पुलिस कर्मियों की ही प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापना होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी अगले 30-35 वर्षों तक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रहना जरूरी है।

Central Library Of Madhya Pradesh Police

A New Approach to Departmental Library

● **SANJAY UCHCHARIA**
Astt. Sub Inspector (M)
Central Police Library, PHQ Bhopal

"The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library."
- Albert Einstein

A Library is needed in every aspect of life. A library exists in every person's life, sometimes in the shape of a book or sometimes as an experience.A stack of books always attracts an intellectual person. Books have always been remained in humans' life since millennia; sometimes it was preserved in the form of Birch tree's bark or sometimes engraved on the wall in the Stone Age!

Central Police Library was come into existence circa 1962. It was established under the roof of Madhya Pradesh Police Headquarters and in a small place where it starts with least resources and lots of strictness. However, it has always been favoured by lots of officers who directly and indirectly nurtured it. Mr. Sharad Dixit was the first librarian and then Mrs. Meena Godhwani followed by him. It was the fortune to the library thatit has always been nurtured by such care taker and has been taking shape to its present position.

The present look of the library is quite different from its initial stage. Now, library has equipped with technology of present time. Central Police Library has become the state's first library which enabled with Radio-frequency identification (RFID).

The concept of modernisation of library was introduced by Dr. Farid Bazmi (present Library Officer) who has foreseen the idea of implementing RFID technology. He started to run the library on e-Granthalay software earlier. Later, he introduced Koha Integrated Library System (ILS).

KOHA - Integrated Library System



Koha is an open-source library software which is used world-wide by universities and public libraries. Koha name comes from Maori language which is spoken by Maori people of New Zealand. Koha means 'a gift or donation'.

Radio-frequency identification (RFID)

Central Police Library is equipped with Radio-frequency identification (RFID) system. RFID is very common and used day-to-day life for example on the entrance of an apparel store at shopping mall where all clothes are clipped by a piece of plastic that is RFID.

It consists of two parts. A tag and a reader. A tag is a chip that contains the data of the book in it. A reader is a device that read the data of the book from the tag. When these two things work together is called RFID. In the Central Police Library, every book is equipped with a chip that is affix inside the book-cover and overlaid by a sticker to protect it from wear and tear.

Shelving function of books

Due to enormous collection of books in the library, it was divided into two floors in the building. The popular genres are placed on the ground floor such as Fiction, Non-fiction,Motivational, Self-help, Biographies, Translated literature, Collection, Religious, Gandhian Literature, Health, Medicine, and New Arrival, etc.and the distinctive materials are arranged on the first floor according to Dewey Decimal Classification (DDC) of Library Science such as Computer science, information & general works (000), Philosophy & psychology (100), Religion (200), Social sciences (300), Language (400), Science (500), Technology (600), Arts & Recreation (700), Literature (800) and History & geography (900).

Open Public Access Catalogue (OPAC)

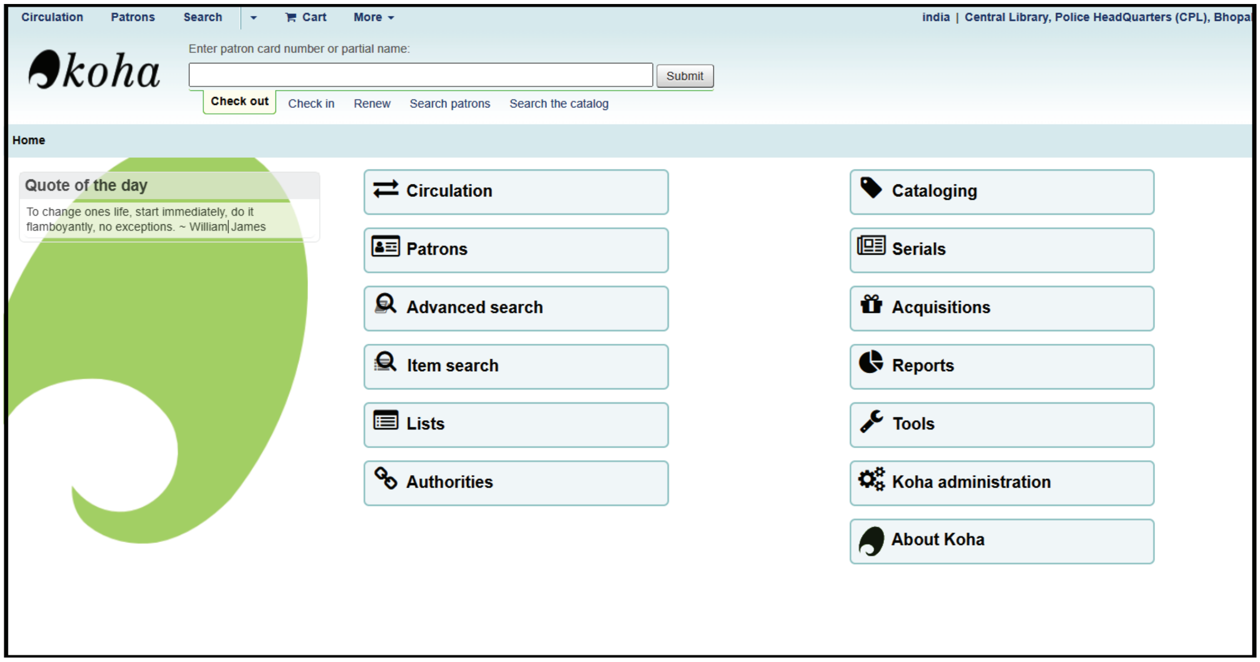
The readers of Police Headquarters do not have much time in their working hours to come to the library and not able to browse the books on the rack one by one. To face such problem, anOpen Public Access Catalogue (OPAC) helps us. we reach our users with the help of it. An OPAC is part of Koha software which provide a portal for displaying the book catalogue such as availabilityof books, details, shelving location (rack where the book is placed) of his books. OPAC runs on an Intranet environment. A local server is established for this OPAC and can be accessed through a dedicated URL. A touch display monitor is also installed in the library for this service.

Self-Check-in/out (KIOSK)

Self-Check-in/out (KIOSK) is a device that is facilitate by touch screen monitor. With the help of this device, a user can issue and return the book with the help of library membership card. It saves the time of a user/reader.

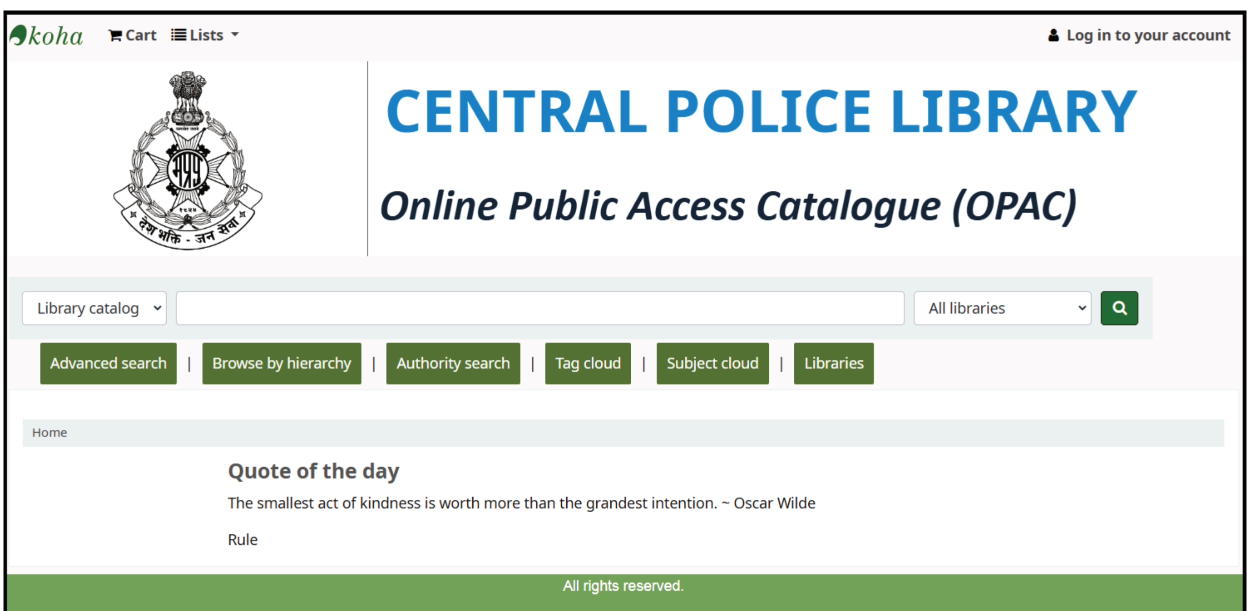
Membership card

Every registered user has a PVC like membership card. This membership card has a built-in chip also that contains the member's data. New technology comes with new responsibilities. After shifting in Koha, the library has to move digital membership cards also. Before, library cards was created and enteried manually.



A Screenshot of the Home Page of Koha Clent.

Central Police Library has a wealth of marvellous collection of books, journals, and periodicals also. It is possessing the rare collections also. The new technology is also providing a foreground for the new age challenges. Koha and RFID are the tools to handle the infinite data of the library and make available at one click!



A Screenshot of the Open Public Access Catalogue (OPAC)

Powered by Koha

जिंदगी की तलाश - एक आस

मूल कविता अंग्रेजी में है, उसका हिंदी हनुवाद प्रस्तुत है...

● काव्या सोनी

खोया हूँ आज!
मिलता नहीं है कोई छोर,
कहां है जाना, कहां बंधी है डोर...

उमड़ते हैं विचार मन में-
क्या होगा यह ठीक
क्या अपनायेगी ये दुनिया मुझे
या होगा इसके विपरीत?

खुद पर हंसता-रोता हूं, अंदर कहीं बार-बार मरता हूं
आकाश की गहराइयों में उड़ जाना चाहता हूँ

इस नशे ने काटे मेरे पंख,
मानव जाति पर है ये कलंक
पहले लगता है सब कुछ सुहाना
फिर नशा करने लगता है सब कुछ बेरंग
छोड़ जाता है ये खोखला हमें,
धकेल जाता है अंतहीन अंधेरी गुफाओं में
जागने से पहले ही समय हो जाता है चिरनिंद्रा का...

उठो! जागो! सोचो अपने की
जिनके साथ हंसते-खेलते-फिरते रहे
वो भले ही हों थोड़े दूर या रूठे हो
तो तुमसे भली ही अभी थोड़ा सा दूर हो

तलाशो वो रास्ते, वो पंख,
जो ले जावें तुम्हें जिंदगी की ओर
तुम्हारे घर की ओर,
थाम लो हाथ उसका, जो दे सहारा
वापस लौटो और देखो, ये प्यारा संसार
ही है तुम्हारा!

The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Opening Ceremony










66th ALL INDIA POLICE DUTY MEET 2022-23
BHOPAL 13 - 17 FEBRUARY, 2023
ANDHRA PRADESH

The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Scientific Aids to Investigation







The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Police Photography







The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Computer Awareness Test









The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Dog Squad







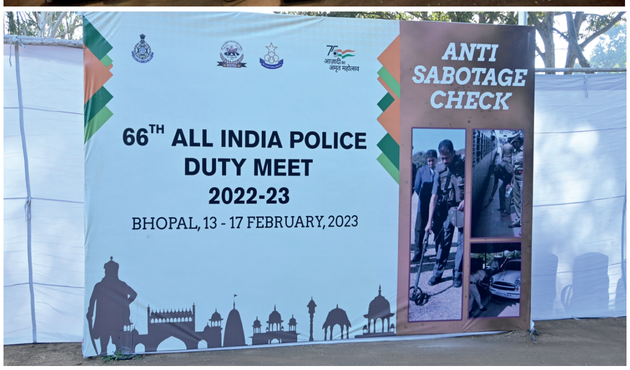


The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Anti Sabotage Check

















The 66th All India Police Duty Meet 2022-23

Police Videography







66th All India Police Duty Meet Competition , 13th to 17th February 2022-23, Bhopal

No.	STATE/ U.T./CPO'S	No of Participent						Total	OTHERS	GRAND TOTAL
		Scientific Aids to Investigation	Anti sebotage	Computer Awerness	Police Photography	Police Videography	Dog handler			
1	Andhra Pradesh	15	9	7	4	4		39	16	55
2	Bihar	15	4	2	2	2	4	29	13	42
3	Chhattisgarh	12	9	3	4	0	5	33	11	44
4	Gujrat	0	11	0	0	0	3	14	8	22
5	Hariyana	0	7	0	0	0	4	11	16	27
6	Himachal Pradesh	0	4	4	3	3	0	14	-3	11
7	Jammu & Kashmir	0	7	0	3	2	3	15	2	17
8	Jharkhand	14	0	4	0	0	4	22	19	41
9	Karnataka	19	8	7	4	5	6	49	21	70
10	Kerala	15	9	9	3	3	9	48	48	96
11	Madhya Pradesh	15	12	5	3	3	7	45	15	60
12	Maharashtra	16	16	8	17	16	14	87	3	90
13	Punjab	8	7	8	3	3	5	34	1	35
14	Rajasthan	16	0	0	4	4	3	27	6	33
15	West Bengal	14	11	8	2	2	25	62	23	85
16	Tamilnadu	16	14	10	3	3	6	52	11	63
17	Telangna	19	9	12	4	1	6	51	-11	40
18	Uttar Pradesh	6	10	5	3	5	0	29	7	36
19	Uttrakhand	10	7	8	1	2	5	33	36	69
20	BSF	0	11	10	4	4	6	35	11	46
21	ITBP	0	9	8	12	12	5	46	-3	43
22	SSB	0	10	7	2	2	6	27	-1	26
23	RPF	5	9	6	3	3	6	32	-5	27
24	CRPF	0	10	4	0	0	4	18	6	24
	Total	215	203	135	84	79	136	852	250	1102

NOTE- Number's of judges 32 Not included.



गोंड आर्ट, मध्यप्रदेश